



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

# वित्त लेखे (खण्ड -I) 2024-25



हिमाचल प्रदेश सरकार



# वित्त लेखे

## खण्ड-I

2024-25

हिमाचल प्रदेश सरकार



## विषय सूची

विषय	पृष्ठ
<b>खण्ड-I</b>	
▪ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	(iii-v)
▪ वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका	(vii-xi)
1 वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2 प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी	4-8
विवरण संख्या 2 का संलग्नक रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश	
3 प्राप्तियों की विवरणी समेकित निधि	9-11
4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)	12-16
5 प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी	17-21
6 उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	22-25
7 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी	26-28
8 सरकार के निवेशों की विवरणी	29
9 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी	30
10 सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	31-33
11 दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी	34
12 राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी	35-38
13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार	39-41
▪ वर्ष 2024-25 के लिए वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	42-55
<b>खण्ड-II</b>	
<b>भाग-I विस्तृत विवरणियां</b>	
14 लघु शीर्षो-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	58-86
15 लघु शीर्षो-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	87-132
16 लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	133-183
17 उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	184-196
18 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	197-204
19 निवेशों की विस्तृत विवरणी	205-219
20 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विस्तृत विवरणी	220-221
21 आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी	222-230
22 चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी	231
<b>खण्ड-II</b>	
<b>भाग-II परिशिष्ट</b>	
(I) वेतन पर तुलनात्मक व्यय	233-240
(II) सहायता पर तुलनात्मक व्यय	241-246
(III) राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)	247-268
(IV) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विस्तृत विवरण	269-270
(V) योजनाओं पर व्यय	271-280
(क) केन्द्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना और केन्द्रीय योजना)	
(ख) राज्य योजनाएं	

## विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
<b>खण्ड-II</b>		
<b>भाग-II परिशिष्ट</b>		
(VI)	राज्य की कार्यालयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गईं) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)	281-284
(VII)	अथ शेषों के साथ शेषों का मिलान व अनुमोदन	285
(VIII)	सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम	286
(IX)	अपूर्ण निर्माण कार्यों की वचनबद्धता की विवरणी	287-291
(X)	वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय	292-296
(XI)	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णय तथा बजट में प्रस्तावित नई स्कीमें	297
(XII)	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों का विवरण	298

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

### अभिमत

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से/में लेन-देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड-I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है। खंड-II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

### अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

### प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमण्डल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगीखातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

### वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।



वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरण (8, 9, 19 तथा 20) और परिशिष्ट (IV, VI, VIII, IX, XI तथा XII) सीधे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

### वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 24 दिसम्बर 2025

स्थान: नई दिल्ली



**क. सरकार के लेखाओं की संरचना का विस्तृत अवलोकन**

1. हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं, लोक ऋण के लेखाओं में दर्ज शेषों में से निकाली गई देनदारियाँ एवं परिसम्पत्तियों को दर्शाते हैं वित्तीय लेखों के साथ विनियोग लेखे होते हैं जो अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

**भाग-I: समेकित निधि:** इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों की वापसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य के अतिरिक्त कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ श्रेणी के व्यय (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों की वापसी इत्यादि), राज्य सरकार की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल द्वारा पारित होने के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग होते हैं - राजस्व एवं पूंजीगत (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित)। इन्हें आगे, 'प्राप्ति' एवं 'व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति भाग, तीन खण्डों में बांटा गया है, 'कर राजस्व' 'गैर-कर राजस्व' एवं 'सहायतानुदान व अंशदान'। इन तीन खण्डों को आगे उप-खण्डों में बांटा गया है जैसे - वस्तु एवं सेवा कर, आय व व्यय पर कर, 'वित्तीय सेवाएँ' इत्यादि। पूंजीगत प्राप्तियाँ भाग में कोई खण्ड अथवा उप-खण्ड नहीं होते हैं। राजस्व व्यय भाग को चार खण्डों जैसे - 'सामान्य सेवाएँ,' 'सामाजिक सेवाएँ,' 'आर्थिक सेवाएँ' एवं 'सहायतानुदान व अंशदान' में बांटा गया है। राजस्व व्यय भाग में इन खण्डों को आगे उप खण्डों जैसे-राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति इत्यादि में विभाजित किया गया है। पूंजीगत व्यय भाग आगे सात उप-खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएँ,' 'सामाजिक सेवाएँ,' 'आर्थिक सेवाएँ' 'लोक ऋण,' 'ऋण एवं अग्रिम,' 'अन्तर्राज्यीय समाधान' तथा 'आकस्मिकता निधि' को हस्तान्तरण में विभाजित है।

**भाग-II: आकस्मिकता निधि:** यह निधि अग्रदाय की होती है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिकता व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि को राज्य सरकार की समेकित निधि में संबंधित मुख्य शीर्ष को डेबिट देकर प्रतिपूर्ति किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2024-25 की आकस्मिकता निधि ₹ 5.00 करोड़ है।

**भाग-III लोक लेखा:** प्राप्त अन्य सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है, जहां सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण एवं उचन्त शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लम्बित रहते हस्तान्तरण शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा में सम्मिलित होता है। लोक लेखा में छः खण्ड जैसे: 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि,' 'आरक्षित निधियाँ,' 'जमा व अग्रिम,' 'उचन्त एवं विविध,' 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष' सम्मिलित हैं। ये खण्ड आगे उप खण्डों में विभाजित हैं। लोक लेखा विधान मण्डल के वोट का विषय नहीं है।


3. सरकारी लेखे छः स्तरीय वर्गीकरण जैसे: मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक) लघु शीर्ष (तीन अंक) उप शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक), एवं उद्देश्य शीर्ष (दो/तीन/चार अंक) में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष

कार्यक्रम/क्रिया कलाप को प्रदर्शित करते हैं, उप शीर्ष योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं, एवं उद्देश्य शीर्ष व्यय के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है (मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष की 31 मार्च 2025 तक अद्यतित सूची अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियाँ
4016 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिक निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिक निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. लेखाओं की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत है:



#### ख. वित्तीय लेखाओं की विषय वस्तु

वित्तीय लेखाओं को दो खण्डों में दर्शाया जाता है।

**खण्ड-I** में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका, चालू वर्ष हेतु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन देनों पर संक्षिप्त सूचना दर्शाती 13 विवरणियां, तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का एक अनुबंध सम्मिलित हैं। खण्ड-I में 13 विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

1. **वित्तीय स्थिति की विवरणी:** यह विवरणी वर्ष के अन्त तक की राज्य सरकार की संचायत्मक परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के आकड़ों को दर्शाती है तथा इन आकड़ों का पिछले वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति से तुलनात्मक रूप में दर्शाती है।
2. **प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी:** यह विवरणी सरकारी लेखाओं के सभी तीनों भागों: समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखे जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है, के अन्तर्गत राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेषों (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दर्शाता अनुबंध भी शामिल है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय अग्रिमों की स्थिति को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करता है।
3. **प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):** यह विवरणी राज्य सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों, दायित्वों एवं दिए गये ऋण की वापसी को दर्शाती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 17 व 18 की समरूप है।
4. **व्यय की विवरणी (समेकित निधि):** लघु शीर्ष स्तर तक वित्तीय लेखाओं के सामान्य प्रदर्शन से हटकर यह विवरणी व्यय कार्य-प्रकृति (व्यय के उद्देश्य) के अनुरूप भी व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II में दी गई विस्तृत विवरणी 15, 16, 17, व 18 की समरूप है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी:** यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 की समरूप है।
6. **ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी:** सरकार की उधारियों में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। 'अन्य देनदारियों' में, 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', आरक्षित निधियाँ एवं जमा समाहित हैं। इस विवरणी में ऋण के उपयोग पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह भाग-II में विस्तृत विवरणी 17 की समरूप है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्त एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा आदाता व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों सहित) को प्रदत्त सभी ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी भाग-II की विस्तृत विवरणी 18 की समरूप है।
8. **सरकार के निवेशों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी में निवेशों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 19 के समरूप है।
9. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी:** यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋणों पर मूलधन व ब्याज की अदायगी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के सार को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी-20 के समरूप है।
10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी:** यह विवरणी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ग्राहियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्त एवं अन्य संस्थानों/ प्राधिकरणों एवं व्यक्तियों को प्रदत्त सभी सहायतानुदान को दर्शाती है। परिशिष्ट-III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण समाहित है।
11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी:** यह विवरणी वित्त लेखों में दर्ज निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्ज सकल आंकड़ों के मेल में सहायक है।
12. **राजस्व व्यय के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिये, जबकि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरुआत में नगद शेष एवं उधारों से पूरा किया जाना चाहिए।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार:** यह विवरणी लेखाओं की सटीकता सिद्ध करने में सहायक है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 व 21 के समरूप है।

**वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां**

वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ प्रकटीकरण और व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य लेनदेन, लेनदेन की श्रेणी, शेष राशि आदि से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो वित्त खातों के हितधारकों /उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर, भारत सरकार के लेखा मानकों (आई.जी.ए.एस.) की आवश्यकताओं, खातों के स्वरूप, पूंजी और राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन आदि सहित वित्त लेखाओं पर टिप्पणियों के भाग के रूप में खण्ड-I में वित्त लेखे में शामिल किया गया है।

**वित्त लेखों के खण्ड-II के दो भाग हैं:- भाग-I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग-II में 12 परिशिष्ट हैं।**

**खण्ड-II का भाग-I**

14. **लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, वित्त लेखे के खण्ड-I में सार विवरणी 3 की समरूपी है लघु शीर्ष स्तर पर राजस्व प्राप्ति के विवरण का प्रतिनिधित्व करने के अलावा, यह विवरणी केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के संबंध में उप शीर्ष स्तर पर विवरण दर्शाती है।
15. **लघु शीर्ष-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो कि खण्ड-I में सार विवरणी 4 की समरूपी है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को दर्शाती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।
16. **लघु शीर्ष व उप शीर्ष वार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 5 की समरूपी है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान एवं संचयात्मक) को दर्शाती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं में पूंजीगत व्यय का विवरण लघु शीर्ष स्तर तक दिखाए जाने के अतिरिक्त, यह विवरणी उपशीर्ष स्तर तक विवरण भी दर्शाती है।
17. **ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 6 की समरूपी है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों को दर्शाती हैं। यह विवरणी ऋणों पर तीन श्रेणियों- (क) व्यक्तिगत ऋणों का ब्यौरा (ख) परिपक्वता रूप-रेखा अर्थात् प्रत्येक श्रेणी के ऋणों की विभिन्न वर्षों में देय राशि एवं (ग) बकाया ऋण पर ब्याज दर की रूप रेखा एवं अनुबंध में बाजार ऋण की सूचना प्रस्तुत करती है।
18. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, इसी खण्ड-I के भाग-I सार विवरणी 7 की समरूपी है।
19. **राज्य सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, वस्तु स्थिति-वार निवेशों तथा विवरणी 16 व 19 के बीच अंतर यदि कोई हो, के मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष वार विवरणों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I की विवरणी 8 के समरूप है।
20. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी, सरकारी प्रतिभूतियों के वस्तु स्थिति-वार विवरण को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I के विवरणी 9 के समरूप है।
21. **आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी आकस्मिकता निधि में असमायोजित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अन्त में लम्बित शेषों का लघु शीर्ष वार विवरण दर्शाती है।

22. चिन्हित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से निवेशों का विवरण दर्शाती है।

**खण्ड-II का भाग-II**

भाग-II में विभिन्न मदों, वेतन, उपदान, सहायतानुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, इत्यादि पर 12 परिशिष्ट सम्मिलित हैं। ये विवरण लेखाओं में उप शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (लघु शीर्ष के नीचे) उपलब्ध है इसलिए सामान्यतः वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाए जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I तथा II की विषय सूची में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों तथा वित्त लेखाओं पर टिप्पणी का पठन, सरकार की वर्ष के दौरान वित्तीय स्थिति के साथ आय व व्यय पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है।

**ग. शीघ्र गणक:**

निम्न भाग, खण्ड-I में दर्ज सार विवरणियों को खण्ड-II में दर्ज विस्तृत विवरणियों एवं परिशिष्टों से जोड़ता है (परिशिष्ट जो सार विवरणियों से सीधे संबधित नहीं है नीचे नहीं दर्शाए गए हैं)।

परिमाण	(खंड-I)	(खंड-II)	
	सारांश तालिकाएं	विस्तृत तालिकाएं	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त अनुदान सहित), पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (उपदान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान	2,10	---	III (सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4,5,12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	1, 2, 7	18	
ऋण स्थिति/ऋण	1, 2, 6	17	
कंपनी, निगमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश	8	19	
नकदी	1, 2,12,13	---	
लोक लेखा में शेष तथा सम्बन्धित निवेश	1, 2,12,13	21, 22	
प्रत्याभूतियां	9	20	
योजनाएं			IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं)



**खण्ड-I**

## 1. वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

पूँजियाँ <sup>1</sup>	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	वित्त लेखाओं पर टिप्पणी	विवरणी/परिशिष्ट		
<b>रोकड़</b>			<b>44.93</b>	<b>1,500.44</b>
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय पारगमन	शून्य	विवरणी संख्या 2 का संलग्नक	...	...
(ii) विभागीय शेष	शून्य	21	0.16	0.16
(iii) स्थाई रोकड़ अग्रदाय	शून्य	21	0.03	0.03
(iv) नगद शेष निवेश	शून्य	21	...	1,457.81
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (यदि जमा शेष में ऋण चिह्न शामिल हो)	शून्य	विवरणी संख्या 2 का संलग्नक	44.74	42.44
(vi) चिन्हित शेषों से निवेश <sup>2</sup>	शून्य	22	...	...
<b>पूँजीगत व्यय</b>		<b>5,16</b>	<b>73,075.00*</b>	<b>67,118.17</b>
(i) कम्पनी, कॉर्पोरेशन इत्यादि के शेयरों में निवेश	शून्य	8,19	6,239.08	5,524.23
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय	शून्य	5,16	66,835.92	61,593.94
<b>आकस्मिक निधि (अनापूर्ति)</b>	4	शून्य	...	...
<b>ऋण तथा अग्रिम</b>	शून्य	<b>7,18</b>	<b>7,981.79</b>	<b>8,132.18</b>
<b>विभागीय अधिकारियों को अग्रिम</b>	शून्य	<b>21</b>	...	...
<b>उचन्त तथा विविध शेष (निवल) <sup>3</sup></b>	शून्य	शून्य	...	...
<b>प्रेषण शेष</b>	शून्य	शून्य	...	...
<b>प्राप्तियों से ऊपर व्यय का समन्वयी आधिक्य <sup>4</sup></b>	शून्य	शून्य	<b>23,308.85</b>	<b>19,772.18</b>
<b>जोड़</b>			<b>1,04,410.57</b>	<b>96,522.97</b>

<sup>1</sup>परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। कृपया 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणी' अनुभाग में टिप्पणी 1 (v) भी देखें।

<sup>2</sup>कम्पनियों आदि के शेयरों में चिन्हित निधियों में से किए गए निवेशों को पूँजीगत व्यय के अधीन निकाल दिया गया है तथा 'चिन्हित निधियों' में से निवेश के अधीन सम्मिलित कर दिया गया है।

<sup>3</sup>इस तालिका में पंक्ति-मद 'उचन्त तथा विविध शेष' में 'नगदी शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी नगदी अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं इन्हें ऊपर अलग से शामिल किया गया है, हालांकि इन लेखाओं में इनको अन्यत्र इस सैक्टर के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।

<sup>4</sup>प्राप्तियों से ऊपर व्यय का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से अलग है अर्थात् राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है।

\* पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णांक के बीच ₹ 0.03 लाख का अन्तर है।

टिप्पणी: इस विवरण में सारांश और दिस्तृत विवरणी और वित्त लेखा खंड-I में अन्य सभी सारांश विवरणी क बीच का अंतर ₹ करोड़ /लाख में पूर्णांकित होने के कारण है।

## 1. वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	वित्त लेखाओं पर टिप्पणी	विवरणी/परिशिष्ट		
<b>उधार (लोक ऋण)</b>			<b>75,554.53</b>	<b>70,369.12</b>
(i) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	शून्य	6,17	67,448.38	61,439.29
बाजार ऋण	शून्य	6,17	57,161.06	52,147.06
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	शून्य	6,17	1,652.42	...
मुआवजा तथा अन्य बॉर्ड	शून्य	6,17	2,023.35	2,312.40
वित्तीय संस्थानों से ऋण	शून्य	6,17	3,929.09	3,728.27
केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	शून्य	6,17	2,682.46	3,251.56
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	शून्य	6,17	8,106.15	8,929.83
आयोजनेतर ऋण	शून्य	6,17	0.71	1.09
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	शून्य	6,17	1,172.40	2,958.77
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र वाले विधान मण्डल की स्कीमों के लिए अन्य ऋण	शून्य	6,17	6,932.91	5,969.84
अन्य ऋण (1984-85 से पूर्वकालिक ऋण)	शून्य	6,17	0.13	0.13
<b>आकस्मिकता निधि(कॉरप्स)</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
<b>लोक लेखा पर दायित्व</b>			<b>28,851.04</b>	<b>26148.85</b>
(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	शून्य	21	20,867.39	19,337.58
(ii) आरक्षित निधियां	शून्य	21	2,879.44	2,279.77
(iii) जमा	शून्य	21	4,030.03	3,645.97
(iv) प्रेषण शेष	शून्य	21	804.23	620.25
(v) उचन्त तथा विविध (निवल) *	शून्य	21	269.95	265.28
व्यय से ऊपर प्राप्तिर्षों का समन्वयी आधिक्य	शून्य	शून्य	...	...
<b>जोड़</b>			<b>1,04,410.57</b>	<b>96,522.97</b>

\* पृष्ठ संख्या 2 (खण्ड-I), पर पाद टिप्पणी 3 देखें

## 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

प्राप्तियां			संवितरण		
	2024-25	2023-24		2024-25	2023-24
(₹ करोड़ में)					
भाग-I समेकित निधि					
शाखा क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	40,872.35 (क)	39,173.05	राजस्व संवितरण (विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें)	47,676.95 (क)	44,731.63
कर राजस्व (राज्य द्वारा) (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	12,772.00	11,835.29	वेतन <sup>1</sup> (विवरणी संख्या 4-ख व परिशिष्ट -I देखें)	15,335.03	15,046.97
कर-भिन्न राजस्व (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	3,697.50*	3,020.89	सहायता <sup>1</sup> (विवरणी संख्या 4-ख व परिशिष्ट -II देखें)	1,872.20	1,768.35
ब्याज प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	556.18	126.06	सहायता अनुदान <sup>(1),(2)</sup> (विवरणी संख्या 4-ख, 10 व परिशिष्ट-III देखें)	6,231.02	5,092.21
अन्य (विवरणी संख्या 3- देखें)	3,141.32	2,894.83	सामान्य सेवाएं (विवरणी संख्या 4 व 15 देखें)	17,542.24	16,435.51
	...	...	ब्याज अदायगियां और ऋण सेवार्यें (विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें)	62,60.93	5,648.37
संघीय शुल्क/कर के अंश (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	10,681.24	9,374.72	पेंशन (विवरणी संख्या 4-क, 4-ख व 15 देखें)	10,536.17	10,055.85
			अन्य (विवरणी संख्या 4-ख देखें)	745.14	731.29
			सामाजिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 15 देखें)	4,592.88	5,043.98
			आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 15 देखें)	2,103.58	1,344.61
केन्द्र सरकार से अनुदान (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	13,721.61	14,942.15	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन (विवरणी संख्या 4-क व 15 देखें)	...	...
राजस्व घाटा	6,804.60	5,558.59	राजस्व आधिक्य	...	...
शाखा ख- पूंजीगत					
पूंजीगत प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	...	2.20	पूंजीगत व्यय (विवरणी संख्या 4-क, 4-ख व 16 देखें)	5,956.83	5,629.79
			सामान्य सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें)	328.35	356.71
			सामाजिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें)	1,918.29	1,743.61
			आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें)	3,710.19	3,529.47
ऋणों एवं अग्रिमों आदि की वसूली (विवरणी संख्या 3, 7 व 18 देखें)	184.64	27.40	ऋणों और अग्रिमों के भुगतान (विवरणी संख्या 4-क, 7 व 18 देखें)	34.25	106.95
सामान्य सेवार्यें	...	...	सामान्य सेवार्यें (विवरणी संख्या 4-क, 7 व 18 देखें)	...	...
सामाजिक सेवाएं	0.07	0.12	सामाजिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4क, 7 व 18 देखें)	...	...
आर्थिक सेवाएं	178.56	21.52	आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4 क, 7 व 18 देखें)	27.40	98.35

<sup>[1]</sup> सभी खण्डों के वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान के आंकड़े जोड़ कर समेकित राशि दर्शाते हैं। इस विवरणी में खण्ड 'सामाजिक', सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी 2) राजस्व व्यय तथा वेतन, पूंजीगत परिव्यय शामिल नहीं है किसी समय वेतन पूंजीगत परिव्यय में दर्शाए जाते हैं। आंकड़े केवल उद्देश्य 'वेतन' के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यय को दर्शाते हैं। (आर.ओ.पी.रहित)

<sup>[2]</sup> सांघिक निगम, कम्पनियां, स्वायत्त संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जाता है जिसे उपरोक्त पंक्ति में दर्शाया गया है। यह अनुदान स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले कर समानुदेशित निवल आय से भिन्न हैं जिसे अलग से स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

(क) पूर्णांकित के विभिन्न स्तर के कारण विवरण 3, 4 क और 4 ख के आंकड़ों से अन्तर है।

\* इनमें ₹ 0.90 करोड़ बुक समायोजन की राशि सम्मिलित है, पृष्ठ संख्या 64 (खण्ड-II) पर पाद टिप्पणी देखें।

## 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

प्राप्तियां			संवितरण		
	2024-25	2023-24		2024-25	2023-24
(₹ करोड़ में)					
<b>शाखा ख- पूंजीगत</b>					
सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम (विवरणी संख्या 7 व 18 देखें)	6.01	5.76	अन्य (विवरणी संख्या 7 देखें)	6.85	8.60
<b>लोक ऋण प्राप्तियां</b> (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	<b>26,622.16</b>	<b>14,901.51</b>	<b>लोक ऋण संवितरण</b> (विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें)	<b>18,168.81</b>	<b>7,895.87</b>
आंतरिक ऋण (बाजार ऋण; एन.एस.एस.एफ. इत्यादि) (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	24,100.47	13,252.36	आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एन.एस.एस.एफ. इत्यादि) (विवरणी संख्या 4-क, 6 व 17 देखें)	18,091.38	7,788.24
केन्द्र सरकार से ऋण (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	2,521.69	1,649.15	केन्द्र सरकार से ऋण (विवरणी संख्या 4-क, 6 व 17 देखें)	77.43	107.63
<b>अन्तर्राज्यीय समाधान निवल*</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>अन्तर्राज्यीय समाधान निवल *</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
			आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन	...	...
<b>जोड़ समेकित निधि प्राप्तियां **</b> (विवरणी संख्या 3 देखें)	<b>67,679.15</b>	<b>54,104.16</b>	<b>जोड़ समेकित निधि संवितरण **</b> (विवरणी संख्या 4 देखें)	<b>71,836.84</b>	<b>58,364.24</b>
<b>राजकोषीय घाटा (क)</b>	<b>12,611.04</b>	<b>11,265.72</b>	<b>राजकोषीय आधिक्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>समेकित निधि में घाटा</b>	<b>4,157.69</b>	<b>4,260.08</b>	<b>समेकित निधि में आधिक्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>भाग-II आकस्मिकता निधि</b>					
<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>भाग-III लोक लेखा</b>					
<b>लघु बचतें</b> (विवरणी संख्या 21 देखें)	<b>5,167.31</b>	<b>4,794.75</b>	<b>लघु बचतें</b> (विवरणी संख्या 21 देखें)	<b>3,637.50</b>	<b>3,139.42</b>
<b>आरक्षित ऋण परिशोध कोष</b> (विवरणी संख्या 21 देखें)	<b>1,553.51</b>	<b>1,645.78</b>	<b>आरक्षित ऋण परिशोध कोष</b> (विवरणी संख्या 21 देखें)	<b>953.84</b>	<b>1,300.73</b>
<b>जमा</b> (विवरणी संख्या 21 देखें)	<b>4,121.65</b>	<b>4,071.13</b>	<b>जमा</b> (विवरणी संख्या 21 देखें)	<b>3,737.59</b>	<b>4,033.64</b>
<b>अग्रिम (विवरणी संख्या 21 देखें)</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>अग्रिम (विवरणी संख्या 21 देखें)</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>उचन्त तथा विविध</b> (विवरणी संख्या 21 देखें)	<b>20,818.84</b>	<b>44,949.83</b>	<b>उचन्त तथा विविध<sup>3</sup></b> (विवरणी संख्या 21 देखें)	<b>19,356.36</b>	<b>42,722.13</b>
<b>प्रेषण (विवरणी संख्या 21 देखें)</b>	<b>7,456.22</b>	<b>9,076.55</b>	<b>प्रेषण (विवरणी संख्या 21 देखें)</b>	<b>7,272.25</b>	<b>8,950.26</b>
<b>जोड़ प्राप्तियां लोक लेखा</b> (विवरणी संख्या 21 देखें)	<b>39,117.53</b>	<b>64,538.04</b>	<b>जोड़ संवितरण लोक लेखा</b> (विवरणी संख्या 21 देखें)	<b>34,957.54</b>	<b>60,146.18</b>
<b>लोक लेखा में घाटा</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>लोक लेखा में आधिक्य</b>	<b>4,159.99</b>	<b>4,391.86</b>
<b>आदि रोकड़ शेष</b>	<b>42.44</b>	<b>(-)89.33</b>	<b>अन्त रोकड़ शेष</b> (विवरणी संख्या 21 देखें)	<b>44.74</b>	<b>42.44</b>
<b>रोकड़ शेष में वृद्धि</b>	<b>2.30</b>	<b>131.78</b>	<b>रोकड़ शेष में कमी</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

(क) राजकोषीय घाटा = (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + वितरित ऋण और अग्रिम + अन्तर्राज्यीय समाधान + आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन) - (राजस्व प्राप्तियां + विविध पूंजीगत प्राप्तियां + ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली + अन्तर्राज्यीय समाधान)

\* अन्तर्राज्यीय समाधान खाते - यह मुख्य शीर्ष 7810 के अंतर्गत राज्यों/राज्यों और संघ के बीच वित्तीय समाधान से संबंधित आंकड़े दर्शाता है, जहां भी लागू हो।

\*\* पूर्णांकित के विभिन्न स्तर के कारण विवरण 3,4 क और 4 ख के आंकड़ों से अन्तर है।

[3] अन्य लेखे जैसे कि नगद शेष लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादी उचन्त तथा विविध में सम्मिलित है। इन अन्य लेखे की वजह से आंकड़े अत्यधिक प्रतीत हो सकते हैं। कृपया विवरण विवरणी संख्या 21

में देखें।

**2. रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश**  
**विवरण संख्या 2 का संलग्नक रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश**

सरकार की समग्र नकदी स्थिति	(₹ करोड़ में)	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
<b>(क) सामान्य रोकड़ शेष-</b>		
1 कोषागारों में रोकड़	...	...
2 रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां *	44.74(क)	42.44
<b>जोड़</b>	<b>44.74</b>	<b>42.44</b>
3 'नगद शेष निवेश लेखा' में रखे गए निवेश-	...	1,457.81
<b>जोड़ (क) सामान्य रोकड़ शेष</b>	<b>44.74</b>	<b>1,500.25</b>
<b>(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश-</b>		
1 विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण कार्यों इत्यादि के पास रोकड़	0.16	0.16
2 विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03
<b>जोड़(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>
<b>जोड़ (क) और (ख)</b>	<b>44.93</b>	<b>1,500.44</b>

\*शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के अधीन जो शेष पड़ा है वह 10 अप्रैल 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक को संज्ञापित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेने देन से सम्बद्ध अंतर सरकारी मौद्रिक समाधानों को लिए जाने के पश्चात आया है।

(क) लेखे में दर्शाए {₹ 44.74 करोड़ (नामे)} तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों {₹ 37.78 करोड़ (जमा)} में ₹ 6.96 करोड़ (नामे) का अन्तर था।

### व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) नगदी तथा नगदी तुल्यमान:- नगदी तथा नगदी तुल्यमानों के अन्तर्गत कोषागारों में पड़ी नगदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास पड़ी जमा राशि तथा पारगमन प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, समाहित होते हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास पड़ी जमा राशि' उपरोक्त में पड़ा शेष वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेषों को इंगित करता है। समग्र नगदी स्थिति का पता लगाने के लिए कोषागारों, विभागों के रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों आदि में से किए गए निवेशों को 'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के शेष में जोड़ा गया है।

(ख) दैनिक नगदी शेष:- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार को बैंक के पास ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना पड़ता है। यदि किसी दिन भी यह शेष अनुबंधित न्यूनतम शेष से कम हो जाए तो इस कमी को साधारण तथा विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट प्रदान किए जाने के उद्देश्य के लिए दैनिक नगदी शेष\* निकाले जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिवस हेतु रिपोर्ट किए गए लेन-देनों सहित (भारतीय रिजर्व बैंक पटलों, एजेंसी बैंकों द्वारा सूचित अर्न्तसरकारी लेनदेनों तथा कोष लेनदेनों पर) 14-दिवसीय खजाना बिलों की अतिधारिता का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार निकाले गए नगदी शेष में 14-दिवसीय खजाना बिलों, यदि कोई हो, की पूर्णता राशि जमा की जाती है तथा न्यूनतम नगदी शेष रखने के पश्चात अधिक राशि यदि कोई हो, का खजाना बिलों में पुनर्निवेश किया जाता है। यदि निकाला गया शुद्ध नगदी शेष, न्यूनतम नगदी शेष या क्रेडिट शेष से कम आता है तथा यदि उस दिवस को कोई भी 14-दिवसीय खजाना बिलों की पूर्णता नहीं हो रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक खजाना बिल को 14 दिनों की अवधि की पुनः छुट देता है ताकि कमी पूरी हो सके। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना बिलों की कोई अतिधारिता नहीं है तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिमों/विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

(ग) अर्थोपाय अग्रिम:- राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा 01.07.2024 ₹ 777.00 करोड़ थी। सरकारी प्रतिभूतियों की प्रज्ञाप्ति के अधीन विशेष आहरण सुविधा को प्रदान किए जाने की सहमति बैंक द्वारा भी दी गई है। बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष आहरण सुविधा में संशोधन किया जाता है।

\* उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) वर्ष के 31 मार्च 2025 का, परन्तु 10 अप्रैल 2025 को निकाला गया, अन्त नगदी शेष है तथा साधारणतः 31 मार्च 2025 का दैनिक शेष नहीं है।

**व्याख्यात्मक टिप्पणी**

वर्ष 2024-25 के दौरान रिजर्व बैंक के पास सरकार ने जो न्यूनतम नगद शेष रखा था, उसका वर्णन इस प्रकार है:-

(i) कोई भी अग्रिम लिए बिना जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया था	203
(ii) साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया	120
(iii) विशेष आहरण सुविधा लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	...
(iv) उपरोक्त अग्रिमों को लिए जाने के उपरान्त भी, लेकिन कोई ओवरड्राफ्ट लिए बिना, जितने दिनों न्यूनतम शेष में कमी रही	...
(v) जितने दिनों ओवरड्राफ्ट लिया गया	42

रोकड़ शेष की कमी को पूर्ण करने के लिए 14 दिन के खजाना बिलों को 76 अवसरों पर ₹ 17,886.22 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष 2024-25 के दौरान 116 अवसरों पर ₹ 19,344.03 करोड़ रिडिस्काउंट किये।

रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखे गए निवेशों का विश्लेषण निम्नवत् है:-

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2024 को आदि शेष	वर्ष 2024-25 के दौरान खरीद	वर्ष 2024-25 के दौरान विक्री	31मार्च 2025 को अंतशेष	वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज वसूली
1	2	3	4	5	6
भारत सरकार के खजाना बिल	1,457.81	17,886.22	19,344.03	...	9.26
<b>जोड़</b>	<b>1,457.81</b>	<b>17,886.22</b>	<b>19,344.03</b>	...	<b>9.26</b>

## 3. प्राप्तियों की विवरणी समेकित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण		2024-25	2023-24
<b>I - कर व कर-भिन्न राजस्व</b>			
(क)	कर राजस्व		
क .1	अपना कर राजस्व	<b>12,772.01</b>	<b>11,835.30</b>
	राज्य माल एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	5,816.61	5,339.89
	भू-राजस्व	15.59	7.03
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	491.12	440.37
	राज्य आबकारी	2,698.23	2,692.33
	बिक्री व्यापार आदि पर कर	1,842.30	1,753.73
	वाहनों पर कर	907.04	781.74
	माल एवं यात्री कर	76.04	70.88
	विद्युत पर कर और शुल्क	494.88	369.07
	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	430.20	380.26
क .2	संघीय करों/ शुल्कों की शुद्ध आय का हिस्सा	<b>10,681.24</b>	<b>9,374.72</b>
	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	3,119.54	2,845.13
	निगम कर	3,030.83	2,813.87
	निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	3,865.36	3,249.67
	सीमा शुल्क	543.46	328.53
	संघीय उत्पाद शुल्क	104.56	124.32
	सेवा कर	0.30	1.73
	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	17.19	11.47
	<b>जोड़- (क)</b>	<b>23,453.25</b>	<b>21,210.02</b>
(ख)	कर-भिन्न राजस्व		
	ब्याज प्राप्तियां	556.18	126.06
	लाभांश एवं लाभ	191.04	191.17
	लोक सेवा आयोग	4.55	4.94
	पुलिस	58.06	65.53
	जेल	0.15	0.16
	आपूर्ति और निपटान	0.10	0.04
	लेखन सामग्री और मुद्रण	10.08	8.88
	लोक निर्माण कार्य	47.38	53.86
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	40.85	40.50
	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों से सम्बन्धित अंशदान और वसूलियां	130.80	177.23
	विविध सामान्य सेवाएं	4.77	2.62
	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	49.64	59.80
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	25.65	24.47
	परिवार कल्याण	0.02	0.01
	जल आपूर्ति और स्वच्छता	58.25	51.99
	आवास	5.31	4.34
	शहरी विकास	7.33	5.23
	सूचना और प्रचार	0.37	0.73
	श्रम और रोजगार	15.50	11.66
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	12.74	20.05
	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.79	0.02
	फसल कृषि-कर्म	16.19	24.99
	पशुपालन	2.01	0.46
	मत्स्य पालन	5.36	3.13

## 3. प्राप्तियों की विवरणी समेकित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
<b>I - कर व कर-भिन्न राजस्व</b>		
<b>(ख) कर-भिन्न राजस्व-समाप्त</b>		
वानिकी एवं वन्य प्राणी	85.66	89.95
पौधारोपण	...	0.01
खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार	0.09	0.10
सहकारिता	4.36	3.38
अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	0.04	0.07
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	14.98	5.53
अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	0.03	0.05
मुख्य सिंचाई	0.63	...
मध्यम सिंचाई	0.01	0.02
लघु सिंचाई	1.71	0.77
विद्युत	1,894.30	1,667.35
ग्रामीण और लघु उद्योग	1.70	1.67
उद्योग	18.77	20.22
अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	358.16	331.73
सड़कें एवं पुल	57.56	10.02
सड़क परिवहन	0.11	0.05
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.75	0.27
पर्यटन	4.29	3.37
सिविल पूर्ति	0.11	0.39
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7.14	8.06
<b>जोड़ - (ख)</b>	<b>3,697.52</b>	<b>3,020.88</b>
<b>II - भारत सरकार से सहायता अनुदान</b>		
<b>(ग) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान</b>		
<b>केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम</b>		
केन्द्रीय सहायता/भाग	3,590.43	3,394.54
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	1,262.89	1,198.65
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अधीन अनुदान	22.44	16.96
केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान	130.96	136.32
अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	866.23	470.48
जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	281.66	113.96
घटाएं-वापसिया	(-)0.03	(-)2.22
<b>जोड़-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें</b>	<b>6,154.58</b>	<b>5,328.69</b>
<b>वित्त आयोग अनुदान</b>		
पश्च हस्तान्तरण राजस्व घाटा अनुदान	6,258.00	8,058.00
ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	433.24	118.51
शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	177.24	158.04
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि हेतु सहायता अनुदान	378.40	360.80
राज्य आपदा निधि की कमी की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान	184.65	42.80
<b>जोड़-वित्त आयोग अनुदान</b>	<b>7,431.53</b>	<b>8,738.15</b>

## 3. प्राप्तियों की विवरणी समेकित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24	
<b>II - भारत सरकार से सहायता अनुदान</b>			
(ग)	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-समाप्त		
	राज्य/विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान/अन्य अन्तरण		
	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में योगदान सम्बन्धी अनुदान (एन.डी.आर.एफ.)	84.56	787.25
	विशेष सहायता	...	0.05
	जी.एस.टी लागू होने पर राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को मुआवजा	50.93	88.00
	<b>जोड़- राज्य/विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान/अन्य अन्तरण</b>	<b>135.49</b>	<b>875.30</b>
	<b>जोड़-ग</b>	<b>13,721.60</b>	<b>14,942.14</b>
	<b>जोड़-राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)</b>	<b>40,872.37</b>	<b>39,173.04</b>
<b>III - पूंजीगत, लोक ऋण व अन्य प्राप्तियां</b>			
घ.	पूंजीगत प्राप्तियां		
	अन्य	...	2.20
	<b>जोड़-घ</b>	<b>...</b>	<b>2.20</b>
ड.	लोक ऋण प्राप्तियां		
	<b>आन्तरिक ऋण</b>	<b>24,100.47</b>	<b>13,252.36</b>
	बाजार ऋण	7,359.00	8,072.00
	मुआवजा और अन्य बांड	...	...
	वित्तीय संस्थानों से ऋण	866.77	799.99
	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	...	...
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	15,874.70	4,380.37
	<b>केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम</b>	<b>2,521.69</b>	<b>1,649.15</b>
	राज्यों/विधान मण्डल संघ राज्य क्षेत्र वाले की स्कीमों के लिए अन्य ऋण	...	...
	ब्लॉक ऋण	2,521.69	1,649.15
	<b>जोड़-ड</b>	<b>26,622.16</b>	<b>14,901.51</b>
च	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण (वसूलियां)		
	सामाजिक सेवाएं	0.07	0.12
	आर्थिक सेवाएं	178.56	21.52
	अन्य	6.01	5.76
छ	अन्तर्राज्यीय समाधान		
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ड+च+छ)	<b>67,679.17</b>	<b>54,104.15</b>

## 4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
क	सामान्य सेवाएँ				
क.1	राज्य के अंग	468.07	...	...	468.07
	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मण्डल	47.79	...	...	47.79
	राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासक	8.81	...	...	8.81
	मन्त्री परिषद	19.17	...	...	19.17
	न्याय प्रशासन	366.64	...	...	366.64
	निर्वाचन	25.66	...	...	25.66
क.2	राजकोषीय सेवाएँ	463.66	...	...	463.66
	भू-राजस्व	255.15	...	...	255.15
	स्टाम्प और पंजीकरण	0.59	...	...	0.59
	राज्य उत्पाद शुल्क	95.26	...	...	95.26
	वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	15.00	...	...	15.00
	वाहनों पर कर	22.92	...	...	22.92
	राज्यों के माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	6.83	...	...	6.83
	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	66.75	...	...	66.75
	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	1.16	...	...	1.16
क.3	ब्याज भुगतान	6,260.93	...	...	6,260.93
	ब्याज अदायगियाँ	6,260.93	...	...	6,260.93
क.4	प्रशासनिक सेवाएँ	2,620.15	328.35	...	2,948.50
	लोक सेवा आयोग	20.96	...	...	20.96
	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	101.91	...	...	101.91
	जिला प्रशासन	270.61	...	...	270.61
	कोषागार और लेखा प्रशासन	57.00	...	...	57.00
	पुलिस	1,553.46	49.44	...	1,602.90
	जेल	59.45	...	...	59.45
	आपूर्ति और निपटान	1.38	...	...	1.38
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	24.20	...	...	24.20
	लोक निर्माण कार्य	331.92	255.73	...	587.65
	सतर्कता	43.06	...	...	43.06
	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	156.20	23.18	...	179.38
क.5	पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	10,559.65	...	...	10,559.65
	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	10,536.17	...	...	10,536.17
	विविध सामान्य सेवाएँ	23.48	...	...	23.48
	जोड़ क- सामान्य सेवाएँ	20,372.46	328.35	...	20,700.81
ख	सामाजिक सेवाएँ-				
ख.1	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति	8,750.06	340.06	...	9,090.12
	सामान्य शिक्षा	8,578.48	340.06	...	8,918.54
	तकनीकी शिक्षा	102.92	...	...	102.92
	क्रीड़ा और युवा सेवाएँ	33.70	...	...	33.70
	कला और संस्कृति	34.96	...	...	34.96
ख.2	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,078.18	583.93	...	3,662.11
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2,498.68	583.93	...	3,082.61
	परिवार कल्याण	579.50	...	...	579.50

## 4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ख	सामाजिक सेवाएं -समाप्त				
ख.3	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2,510.85	894.26	...	3,405.11
	जलापूर्ति और स्वच्छता	1,146.05	734.97	...	1,881.02
	आवास	706.02	57.83	...	763.85
	शहरी विकास	658.78	101.46	...	760.24
ख.4	सूचना तथा प्रसारण	50.34	0.80	...	51.14
	सूचना तथा प्रचार	50.34	0.80	...	51.14
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	54.50	11.15	...	65.65
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	54.50	11.15	...	65.65
ख.6	श्रम और श्रम कल्याण	315.89	...	...	315.89
	श्रम रोजगार और कौशल विकास	315.89	...	...	315.89
ख.7	सामाजिक कल्याण और पोषण	3,084.46	88.09	...	3,172.55
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,257.00	88.09	...	2,345.09
	पोषण	116.09	...	...	116.09
	प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	711.37	...	...	711.37
ख.8	अन्य	43.80	...	...	43.80
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.58	...	...	0.58
	सांचेवालय सामाजिक सेवाएं	43.22	...	...	43.22
	जोड़ ख-सामाजिक सेवाएं	17,888.08	1,918.29	...	19,806.37
ग.	आर्थिक सेवाएं				
ग.1	कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप	2,574.81	42.15	...	2,616.96
	फसल कृषि-कर्म	681.48	11.44	...	692.92
	मृदा तथा जल संरक्षण	66.67	0.06	...	66.73
	पशुपालन	463.25	9.08	...	472.33
	डेयरी विकास	28.55	...	...	28.55
	मत्स्य पालन	27.42	16.17	...	43.59
	वानिकी और वन्य प्राणी	799.52	5.37	...	804.89
	पोषासपण	0.83	...	...	0.83
	खाद्य, भण्डारण और भाण्डागार	190.49	0.02	...	190.51
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	268.39	...	...	268.39
	सहकारिता	48.21	0.01	...	48.22
ग.2	ग्रामीण विकास	1,943.55	30.25	...	1,973.80
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	152.02	...	...	152.02
	ग्रामीण रोजगार	648.86	...	...	648.86
	भूमि सुधार	1.09	...	...	1.09
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,141.58	30.25	...	1,171.83
ग.3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	...	...	...
ग.4	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	410.02	388.53	...	798.55
	मुख्य सिंचाई	11.23	...	...	11.23
	मध्यम सिंचाई	12.46	16.73	...	29.19
	लघु सिंचाई	385.42	268.19	...	653.61
	कमान्ड क्षेत्र विकास	...	34.89	...	34.89

## 4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ग.	आर्थिक सेवाएं समाप्त				
ग.4	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण				
	बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास	0.91	68.72	...	69.63
ग.5	ऊर्जा	<b>1,914.34</b>	<b>138.15</b>	<b>27.40</b>	<b>2,079.89</b>
	बिजली	1,912.31	138.15	27.40	2,077.86
	नई तथा नवीनीकरण ऊर्जा	2.03	...	...	2.03
ग.6	उद्योग और खनिज	<b>113.77</b>	<b>89.28</b>	...	<b>203.05</b>
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	88.85	89.28	...	178.13
	उद्योग	12.50	...	...	12.50
	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	12.42	...	...	12.42
ग.7	परिवहन	<b>2,269.09</b>	<b>2,663.49</b>	...	<b>4,932.58</b>
	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूँजीगत परिव्यय	...	(-)201.70*	...	(-)201.70
	नागरिक विमानन	9.53	514.72	...	524.25
	सड़कें और पुल	1,567.78	1,768.55	...	3,336.33
	सड़क परिवहन	691.71	556.51	...	1,248.22
	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.07	...	...	0.07
	अन्य परिवहन सेवाएं	...	25.41	...	25.41
ग.8	संचार	...	...	...	...
ग.9	विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	<b>8.72</b>	...	...	<b>8.72</b>
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	8.39	...	...	8.39
	परिस्थितिकी और पर्यावरण	0.33	...	...	0.33
ग.10	सामान्य आर्थिक सेवाएं	<b>182.15</b>	<b>358.35</b>	...	<b>540.50</b>
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	32.19	...	...	32.19
	पर्यटन	108.71	109.51	...	218.22
	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	17.32	...	...	17.32
	नागरिक आपूर्ति	20.54	...	...	20.54
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3.39	248.84	...	252.23
	जोड़-ग आर्थिक सेवाएं	<b>9,416.45</b>	<b>3,710.20</b>	<b>27.40</b>	<b>13,154.05</b>
ड.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण				
	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	...	6.85	6.85
	जोड़ ड-सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	...	<b>6.85</b>	<b>6.85</b>
च.	लोक ऋण				
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	...	...	18,091.38	18,091.38
	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	...	...	77.43	77.43
	जोड़ च-लोक ऋण	...	...	<b>18,168.81</b>	<b>18,168.81</b>
	जोड़-समेकित निधि व्यय	<b>47,676.99</b>	<b>5,956.84</b>	<b>18,203.06</b>	<b>71,836.89**</b>

\* यह पिछले वर्षों में व्यय के रूप में दर्ज भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा वापस की गई अव्ययित राशि के समायोजन को दर्शाता है।

\*\* पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णांक के बीच ₹ 0.04 करोड़ का अन्तर है।

## 4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

ख. व्यय की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष कोड	व्यय का विवरण	2024-25			2023-24		
		राजस्व	पूँजीगत	जोड़	राजस्व	पूँजीगत	जोड़
1	वेतन	15,335.03	...	15,335.03	15,046.97	....	15,046.97
2	मजदूरी	312.45	...	312.45	305.61	....	305.61
3	यात्रा व्यय	41.62	...	41.62	39.28	....	39.28
4	वर्दी	4.35	...	4.35	4.41	...	4.41
5	कार्यालय व्यय	208.24	...	208.24	183.64	....	183.64
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	188.81	...	188.81	183.36	....	183.36
7	किराया, कर एवं उपकर	43.27	...	43.27	36.48	....	36.48
8	प्रकाशन	2.79	...	2.79	2.01	...	2.01
9	विज्ञापन एवं प्रचार	34.59	...	34.59	33.61	....	33.61
10	आतिथ्य और मनोरंजन व्यय	10.07	...	10.07	8.89	...	8.89
11	प्रस्तुत	0.47	...	0.47	2.03	...	2.03
12	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाएँ	36.95	...	36.95	23.32	....	23.32
15	प्रशिक्षण	5.47	...	5.47	3.35	...	3.35
16	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	1,454.75	...	1,454.75	1,251.54	....	1,251.54
17	परिलब्धियाँ	4.69	...	4.69	4.91	...	4.91
19	गुप्त सेवा व्यय	0.29	...	0.29	0.50	...	0.50
20	अन्य प्रभार	2,666.97(क)	...	2,666.97	3,438.77	....	3,438.77
21	मरम्मत	1,818.71	...	1,818.71	2,074.18	....	2,074.18
23	ब्याज	6,260.93	...	6,260.93	5,648.37	....	5,648.37
27	मोटर वाहन (खरीद)	8.66	...	8.66	4.67	...	4.67
28	सत्कार भत्ता	0.26	...	0.26	0.29	...	0.29
29	मुआवजा	659.26	167.10	826.36	213.12	42.82	255.94
30	मोटर वाहन	95.87	...	95.87	68.23	....	68.23
31	मशीनरी व उपस्कर	30.95	220.36	251.31	21.58	92.96	114.54
32	पुरस्कार	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
33	सामग्री एवं आपूर्ति	474.12	53.12	527.24	361.63	44.99	406.62
36	लघु कार्य	273.26	...	273.26	145.51	....	145.51
37	मुख्य कार्य	...	5,207.23	5,207.23	....	5,327.16	5,327.16
38	पेंशन	9,543.85(ख)	...	9,543.85	9,212.64	....	9,212.64
39	उपदान	1,152.53(ख)	...	1,152.53	1,081.82	....	1,081.82
40	छात्रवृत्ति, वजीफा एवं रियायत	113.54	...	113.54	98.46	....	98.46
41	सहायता अनुदान (वेतन)	1,814.02	...	1,814.02	1,771.45	....	1,771.45
42	सहायता अनुदान (गैर वेतन)	3,233.80	...	3,233.80	2,409.71	....	2,409.71
43	निवेश	...	716.31(ग)	716.31	....	182.52	182.52**
44	पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान	1,183.20	...	1,183.20	911.05	....	911.05
48	ऋण और उधार	...	18,203.06	18,203.06	...	8,002.83	8,002.83
62	ब्याज पर सब्सिडी	...	...	...	5.25	...	5.25
63	उपदान	1,872.20	...	1,872.20	1,768.35	....	1,768.35

## 4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

ख. व्यय की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष कोड	व्यय का विवरण	2024-25			2023-24		
		राजस्व	पूँजीगत	जोड़	राजस्व	पूँजीगत	जोड़
64	स्थानांतरण व्यय	5.51	...	5.51	1.48	...	1.48
65	आउट सोर्स कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक	223.66	...	223.66	210.05	....	210.05
70	ऊर्जा प्रभार	490.02	...	490.02	503.74	....	503.74
79	उद्यन्त	547.98	...	547.98	746.92	....	746.92
99	मानदेय	604.69	...	604.69	503.50	....	503.50
	<b>कुल (सकल)</b>	<b>50,757.85</b>	<b>24,567.18</b>	<b>75,325.03</b>	<b>48,330.70</b>	<b>13,693.28</b>	<b>62,023.98</b>
90	घटाएं-वसूली	3,080.90	407.28	3,488.18	3,599.05	60.66	3,659.71
	<b>कुल (योग)</b>	<b>47,676.95*</b>	<b>24,159.90</b>	<b>71,836.85*</b>	<b>44,731.65</b>	<b>13,632.62</b>	<b>58,364.27</b>

\* पूर्णांकित के विभिन्न स्तर के कारण विवरण 2 और 4 क के आंकड़ों से अन्तर है।

(क) इसमें व्यय और आरक्षित निधि (एस.डी.आर.एफ/एन.डी.आर.एफ/एस.डी.एम.एफ.) में स्थानांतरण, मरम्मत रखरखाव व्यय और निदेशन एवं प्रशासन के लिए ₹ 1,431.85 करोड़ शामिल है।

(ख) विवरण 2 और 4क में कुल पेंशन ₹ 10,536.17 करोड़, विवरण 4ख में पेंशन ₹ 9,543.85 करोड़, ग्रेच्युटी ₹ 1,152.53 करोड़ पेंशन से वसूली ₹ 160.21 करोड़ (कटौती पंक्ति में शामिल) को अलग-अलग दर्शाए जाने के कारण अन्तर है।

(ग) सहकारी समितियों में ₹ 1.48 करोड़, की छूट और ₹ 0.02 करोड़, की वृद्धि के कारण विवरण संख्या 8 में दिये गए ₹ 1.46 करोड़ के आंकड़ों से अन्तर है।

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	2024-25 के दौरान व्यय	2024-25 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2024-25 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में	
		1	2	3	4	5	6
क.	सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						(₹ करोड़ में)
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.08	...	0.08	...	...
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	76.41	765.67	49.44	815.11	(-)35.30	
4058	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	...	6.59	...	6.59	...	...
4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	269.77	2,190.65	255.73	2,446.38	(-)5.20	
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10.53	134.93	23.18	158.10	(+)120.13	
	<b>जोड़-क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>	<b>356.71</b>	<b>3,097.92</b>	<b>328.35</b>	<b>3,426.26</b>	<b>(-)7.95</b>	
ख.	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क)	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा						
4202	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	300.30	4,986.20	340.06	5,326.26	(+)13.24	
	<b>जोड़-(क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा</b>	<b>300.30</b>	<b>4,986.20</b>	<b>340.06</b>	<b>5,326.26</b>	<b>(+)13.24</b>	
(ख)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-						
4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	295.67	3,563.04	583.93	4,146.97	(+)97.49	
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	33.22	...	33.22	...	...
	<b>जोड़-(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>295.67</b>	<b>3,596.26</b>	<b>583.93</b>	<b>4,180.19</b>	<b>(+)97.49</b>	
(ग)	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-						
4215	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	1,022.97	10,335.44	734.97	11,070.41	(-)28.15	
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	24.82	1,139.81	57.83	1,197.64	(+)133.00	
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	61.24	466.88	101.46	568.34	(+)65.68	
	<b>जोड़-(ग) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>1,109.03</b>	<b>11,942.13</b>	<b>894.26</b>	<b>12,836.39</b>	<b>(-)19.37</b>	
(घ)	सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-						
4220	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.47	12.24	0.80	13.04	(+)70.21	
	<b>जोड़-(घ) सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>0.47</b>	<b>12.24</b>	<b>0.80</b>	<b>13.04</b>	<b>(+)70.21</b>	

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	2024-25 के दौरान व्यय	2024-25 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2024-25 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5
	6				
(₹ करोड़ में)					
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-समाप्त					
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-					
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1.27	232.55	11.15	243.70	(+)777.95
<b>जोड़-(ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>1.27</b>	<b>232.55</b>	<b>11.15</b>	<b>243.70</b>	<b>(+)777.95</b>
(छ) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-					
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	35.96	182.24	88.09	270.33	(+)144.97
<b>जोड़-(छ) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>35.96</b>	<b>182.24</b>	<b>88.09</b>	<b>270.33</b>	<b>(+)144.97</b>
(ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.91	18.36	...	18.36	(-)100.00
<b>जोड़-(ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>0.91</b>	<b>18.36</b>	<b>...</b>	<b>18.36</b>	<b>(-)100.00</b>
<b>जोड़-ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>1,743.61</b>	<b>20,969.98</b>	<b>1,918.29</b>	<b>22,888.27</b>	<b>(+)10.02</b>
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा					
4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	(-)10.90	157.46	11.44	168.89	(-)204.95
4402 भू तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	0.57	553.14	0.06	553.20	(-)89.47
4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	7.73	194.34	9.08	203.41	(+)17.46
4404 डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.38	...	5.38	...
4405 मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	3.77	63.23	16.17	79.40	(+)328.91
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय	6.07	222.91	5.37	228.28	(-)11.53
4408 खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	39.97	0.02	39.98	(-)71.43

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य विवरण शीर्ष	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	2024-25 के दौरान व्यय	2024-25 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2024-25 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5
(₹ करोड़ में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-क्रमशः					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा-समाप्त					
4415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.42	...	3.42	...
4416 कृषि वित्तीय संस्थान पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.49	...	9.49	...
4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.27	79.21	0.01	79.22	(-)96.30
4435 अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.21	...	2.21	...
<b>जोड़-(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा</b>	<b>7.58</b>	<b>1,330.76</b>	<b>42.15</b>	<b>1,372.88</b>	<b>(+)456.07</b>
(ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा					
4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	24.56	170.96	30.25	201.21	(+)23.17
<b>जोड़-(ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा</b>	<b>24.56</b>	<b>170.96</b>	<b>30.25</b>	<b>201.21</b>	<b>(+)23.17</b>
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा					
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	282.83	...	282.83	...
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.04	763.72	16.73	780.46	(+)41,725.00
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	294.69	3,300.66	268.19	3,568.85	(-)8.99
4705 कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	57.72	495.69	34.89	530.58	(-)39.55
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	33.02	1,627.28	68.72	1,696.00	(+)108.12
<b>जोड़-(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा</b>	<b>385.47</b>	<b>6,470.18</b>	<b>388.53</b>	<b>6,858.72</b>	<b>(+)0.79</b>
(ङ.) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-					
4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.50	3,575.87	138.15	3,714.02	(+)487.87
<b>जोड़-(ङ.) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा</b>	<b>23.50</b>	<b>3,575.87</b>	<b>138.15</b>	<b>3,714.02</b>	<b>(+)487.87</b>
(च.) उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा					
4851 ग्रामीण तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	72.09	879.00	89.28	968.29	(+)23.85
4853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.12	...	0.12	...
4858 अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.87	...	3.87	...
4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.97	...	2.97	...

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	2024-25 के दौरान व्यय	2024-25 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2024-25 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-समाप्त					(₹ करोड़ में)
(च.) उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा -समाप्त					
4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	...		70.34	...	70.34
जोड़-(च) उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा		<b>72.09</b>	<b>956.30</b>	<b>89.28</b>	<b>1,045.59</b>
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा					
5002 भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	154.72		1,057.49	(-)201.70	855.79
5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	315.82		460.21	514.72	974.93
5054 सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	2,065.12		24,556.36	1,768.55	26,324.91
5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	132.49		1,664.42	556.51	2,220.92
5056 अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...		2.20	...	2.20
5075 अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	12.26		31.42	25.41	56.83
जोड़-(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		<b>2,680.41</b>	<b>27,772.10</b>	<b>2,663.49</b>	<b>30,435.58</b>
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	63.72		455.00	109.51	564.51
5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...		3.29	...	3.29
5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	272.14		2,315.80	248.84	2,564.64
जोड़-(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-		<b>335.86</b>	<b>2,774.09</b>	<b>358.35</b>	<b>3,132.44</b>
जोड़-ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-		<b>3,529.47</b>	<b>43,050.26</b>	<b>3,710.20</b>	<b>46,760.44</b>
सकल योग		<b>5,629.79</b>	<b>67,118.16</b>	<b>5,956.84*</b>	<b>73,074.97*</b>

\* पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णांक के बीच ₹ 0.01 करोड़ का अन्तर है।

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां**

वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने सांविधिक निगमों/बोर्डों, में ₹ 507.63 करोड़, सरकारी तथा अन्य कम्पनियों में ₹ 208.66 करोड़ तथा सहकारी समितियों/बैंकों में (-) ₹ 1.44 करोड़, का विमोचन किया गया।

वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के अन्त तक विभिन्न प्रतिष्ठानों की शेयर पूंजी एवं ऋण पत्रों में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹ 5,333.57 करोड़, ₹ 5,524.23 करोड़, तथा ₹ 6,239.08 करोड़, था। उन पर वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के अन्त तक क्रमशः ₹ 180.90 करोड़, ₹ 191.17 करोड़, तथा ₹ 191.04 करोड़ लाभांश प्राप्त किया।

## 6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

## (i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2025 को शेष	वर्ष 2024-25 के दौरान		प्रतिशतता कुल दायित्व
					निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		
					राशि	प्रतिशत	
(₹ करोड़ में)							
<b>क. लोक ऋण</b>							
<b>6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण</b>							
बाजार ऋण	52,147.06	7,359.00	2,345.00	57,161.06	(+)5,014.00	(+)9.62	55.32
मुआवजा तथा अन्य बाँड	2,312.40	...	289.05	2,023.35	(-)289.05	(-)12.50	1.96
वित्तीय संस्थानों से ऋण	3,728.27	866.77	665.95	3,929.09	(+)200.82	(+)5.39	3.80
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	...	15,874.70	14,222.28	1,652.42	(+)1,652.42	...	1.60
केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	3,251.56	...	569.10	2,682.46	(-)569.10	(-)17.50	2.60
<b>जोड़-6003</b>	<b>61,439.29</b>	<b>24,100.47</b>	<b>18,091.38</b>	<b>67,448.38</b>	<b>(+)6,009.09</b>	<b>(+)9.78</b>	<b>65.27</b>
<b>6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम</b>							
<b>01 आयोजनेतर ऋण</b>							
201 गृह निर्माण अग्रिम	0.08	...	0.01	0.07	(-)0.01	(-)12.50	...
800 अन्य ऋण	1.01	...	0.36	0.65	(-)0.36	(-)35.64	...
<b>जोड़-01</b>	<b>1.09</b>	<b>...</b>	<b>0.37</b>	<b>0.72</b>	<b>(-)0.37</b>	<b>(-)33.94</b>	<b>...</b>
<b>02-राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण</b>							
101 ब्लाक ऋण	1,231.94*	...	59.55	1,172.39	(-)59.55	(-)4.83	1.13
105 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप समेकित राज्य योजनागत ऋण	9.83	...	9.83	...	(-)9.83	(-)100.00	...
<b>जोड़-02</b>	<b>1,241.77</b>	<b>...</b>	<b>69.38</b>	<b>1,172.39</b>	<b>(-)69.38</b>	<b>(-)5.59</b>	<b>1.13</b>

\* जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के बैक-टू-बैक ऋण के पूर्व अवधि समायोजन के कारण पिछले वर्ष के समापन शेष से ₹ 1,717.01 करोड़ का अन्तर है।

## 6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

## (i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2025 को शेष	वर्ष 2024-25 के दौरान		प्रतिशतता कुल दायित्व
					निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		
					राशि	प्रतिशत	
(₹ करोड़ में)							
<b>क. लोक ऋण-समाप्त</b>							
<b>6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम-समाप्त</b>							
<b>07 1984-85 से पूर्वकालिक ऋण</b>							
102 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति स्कीम	0.13	...	...	0.13	...	...	...
<b>जोड़-07</b>	<b>0.13</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0.13</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>09 राज्यों/विधान मण्डल संघ राज्य क्षेत्र वाले स्कीमों के लिए अन्य ऋण</b>							
101 ब्लाक ऋण	4,418.90*	2,521.69	7.67	6,932.92	(+)2,514.02	(+)56.89	6.71
<b>जोड़-09</b>	<b>4,418.90</b>	<b>2,521.69</b>	<b>7.67</b>	<b>6,932.92</b>	<b>(+)2,514.02</b>	<b>(+)56.89</b>	<b>6.71</b>
<b>जोड़-6004</b>	<b>5,661.89</b>	<b>2,521.69</b>	<b>77.42</b>	<b>8,106.16</b>	<b>(+)2,444.27</b>	<b>(+)43.17</b>	<b>7.84</b>
<b>जोड़-क लोक ऋण</b>	<b>67,101.18</b>	<b>26,622.16</b>	<b>18,168.80</b>	<b>75,554.54</b>	<b>(+)8,453.36</b>	<b>(+)12.60</b>	<b>73.12</b>
<b>ख-अन्य दायित्व</b>							
<b>लोक लेखा</b>							
लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	19,337.58	5,167.31	3,637.50	20,867.39	(+)1,529.81	(+)7.91	20.19
सब्याज आरक्षित निधियां	1,969.07	1,486.58	716.45	2,739.20	(+)770.13	(+)39.11	2.65
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	310.70	66.92	237.39	140.23	(-)170.47	(-)54.87	0.14
सब्याज जमा राशियां	16.50	21.43	21.33	16.60	(+)0.10	(+)0.61	0.02
ब्याज रहित जमा राशियां	3,629.99	4,100.23	3,716.27	4,013.95	(+)383.96	(+)10.58	3.88
<b>जोड़-ख-अन्य दायित्व</b>	<b>25,263.84</b>	<b>10,842.47</b>	<b>8,328.94</b>	<b>27,777.37</b>	<b>(+)2,513.53</b>	<b>(+)9.95</b>	<b>26.88</b>
<b>जोड़-लोक ऋण तथा अन्य दायित्व</b>	<b>92,365.02</b>	<b>37,464.63</b>	<b>26,497.74</b>	<b>1,03,331.91**</b>	<b>(+)10,966.89</b>	<b>(+)11.87</b>	<b>100.00</b>

\* जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के बैक-टू-बैक ऋण के पूर्व अवधि समायोजन के कारण पिछले वर्ष के समापन शेष से ₹ 1,550.94 करोड़ का अन्तर है।

\*\* पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णांक के बीच ₹ 0.01 करोड़ का अन्तर है।

## 6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

### व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. ऋण परिशोधन के लिए प्रबन्ध:- खुले बाजार में लिए गए ऋणों के परिशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध नहीं किए गए हैं-

2. लघु बचत निधि से ऋण:- वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त ऋणों की राशि ₹ शून्य करोड़ और ₹ 569.10 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के अन्त तक शेष राशि ₹ 2,682.46 करोड़ थी जो 31 मार्च, 2025 तक राज्य सरकार की कुल आंतरिक ऋण का 3.98 प्रतिशत और राज्य सरकार की कुल लोक ऋण का 3.55 प्रतिशत था ।

3. राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, बाजार ऋण इत्यादि

(क) बाजार ऋण:- खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान सरकार ने 13 ऋण ₹ 1,000.00 करोड़, ₹ 700.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 700.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 700.00 करोड़, ₹ 600.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 322.00 करोड़, तथा ₹ 337.00 करोड़ क्रमशः 7.45 प्रतिशत, 7.47 प्रतिशत, 7.44 प्रतिशत, 7.46 प्रतिशत, 7.35 प्रतिशत, 7.25 प्रतिशत, 7.22 प्रतिशत, 7.08 प्रतिशत, 7.13 प्रतिशत, 7.11 प्रतिशत, 7.12 प्रतिशत, 7.26 प्रतिशत, तथा 7.10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से समतुल्य ऋण जारी किए जो नगद वसूल हुए। ये ऋण, अप्रैल 2044, मई 2033, जुन 2034, जुलाई 2034, अगस्त 2033, सितम्बर 2039, अक्तूबर 2034, नवम्बर 2039, दिसंबर 2034, दिसंबर 2036, मार्च 2035, तथा मार्च 2040 में विमोच्य है।

दस दीर्घकालीन ऋण ₹ 550.00 करोड़, ₹ 200.00 करोड़, ₹ 200.00 करोड़, ₹ 150.00 करोड़, ₹ 150.00 करोड़, ₹ 400.00 करोड़, ₹ 200.00 करोड़, ₹ 100.00 करोड़, ₹ 300.00 करोड़, तथा ₹ 95.00 करोड़ क्रमशः 9.63 प्रतिशत, 9.23 प्रतिशत, 8.98 प्रतिशत, 8.96 प्रतिशत, 9.00 प्रतिशत, 8.87 प्रतिशत, 8.45 प्रतिशत, 8.26 प्रतिशत, 8.13 प्रतिशत, तथा 8.08 प्रतिशत, की दर से वर्ष के दौरान उन्मोचन हेतु अधिसूचित किये गये।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण:- ये भी दीर्घकालीन सब्याज ऋण है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तों के अनुरूप लौटाये जाते हैं। इस वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 2.85 करोड़ की राशि चुकाई गई थी।

(ग) कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण:- ये ऋण कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस बैंक से ₹ 849.99 करोड़ की राशि ली गई थी, तथा ₹ 638.00 करोड़ वापिस किए गए। वर्ष के अन्त तक बकाया शेष ₹ 3,852.21 करोड़ है।

(घ) मुआवजा और अन्य बॉण्ड:- यह ऋण राज्य सरकार द्वारा उदय के तहत हिमाचल प्रदेश विशेष बॉण्ड के कारण प्राप्त किया गया था। वर्ष के दौरान ₹ 289.05 करोड़ की राशि चुकाई गई। वर्ष के अन्त में बकाया राशि ₹ 2,023.35 करोड़ है।

(ङ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण:- ये ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹ शून्य करोड़ की राशि ली गई तथा वर्ष के दौरान ₹ 25.10 करोड़ वापिस किए गए। वर्ष के अन्त तक ₹ 50.02 करोड़ बकाया शेष है।

(च) अन्य संस्थानों से ऋण:- यह ऋण यू.आई.डी.एफ. द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान ₹ 16.78 करोड़ की राशि प्राप्त हुई तथा ₹ शून्य करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष के अन्त में बकाया शेष ₹ 16.78 करोड़ है।

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम:- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय ऋण- रिजर्व बैंक के साथ रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद जैसे ₹ 0.55 करोड़ को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से समय-2 पर अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान साधारण आर्थोपाय अग्रिम ₹ 11,267.83 करोड़ की राशि ली गई तथा ओवरड्राफ्ट के रूप में ₹ 4,606.87 करोड़ की राशि ली गई और क्रमशः ₹ 10,490.83 करोड़ व ₹ 3,731.45 करोड़ की वापसी की गई।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी  
व्याख्यात्मक टिप्पणियां

4. ऋण का भुगतान:-

ऋण और अन्य दायित्व पर ब्याज:- वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान प्रभारित ब्याज के कारण राजस्व में से लिए गए सकल बकाया ऋण और अन्य दायित्वों तथा कुल निवल राशि नीचे दी गई है।

	2024-25	2023-24	वर्ष 2024-25 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)
<b>(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व</b>			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधि इत्यादि	96,421.92	89,706.69	(+)6,715.23
(ख) अन्य दायित्व	6,909.98	5,926.25	(+)983.73
<b>जोड़ (i)</b>	<b>1,03,331.90*</b>	<b>95,632.94</b>	<b>(+)7,698.95</b>
<b>(ii) सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज</b>			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधियां आदि पर	6,183.29	5,594.33	(+)588.96
(ख) अन्य दायित्व पर	77.63	54.03	(+)23.60
<b>जोड़ (ii)</b>	<b>6,260.92</b>	<b>5,648.36</b>	<b>(+)612.56</b>
<b>(iii) घटाये</b>			
(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	422.40	47.65	(+)374.75
(ख) रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	9.26	21.43	(-)12.17
<b>जोड़ (iii)</b>	<b>431.66</b>	<b>69.08</b>	<b>(+)362.58</b>
<b>(iv) ब्याज की प्रभारों की निवल</b>	<b>5,829.26</b>	<b>5,579.28</b>	<b>(+)249.98</b>
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति सकल ब्याज की प्रतिशतता (मद ii)	15.32	14.42	(+)0.90
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति निवल ब्याज (मद iv) की प्रतिशतता	14.26	14.24	(+)0.02

टिप्पणी:- सरकार ने वर्ष के दौरान विभिन्न लोक उपक्रमों और अन्य निवेशों अदि से ₹ 191.04 करोड़ लाभांश के रूप में भी प्राप्त किए। (मुख्य शीर्ष-0050 पृष्ठ 62 खण्ड-II) देखें।

\* आंकड़ों में अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी  
भाग-1 ऋण एवं अग्रिम का सार: उधारग्रहीता समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2024 को शेष #	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2025 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2024-25 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (6-2)	ब्याज का बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>सामाजिक सेवाएं</b>							
नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम	7.57	...	...	...	7.57	...	*
शहरी विकास प्राधिकरण	1.06	...	...	...	1.06	...	*
आवासीय बोर्ड	4.09	...	0.06	...	4.03	(-)0.06	*
सांविधिक निगम	6.43	...	...	...	6.43	...	*
अन्य	11.21	...	...	...	11.21	...	*
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>30.36</b>	...	<b>0.06</b>	...	<b>30.30</b>	<b>(-)0.06</b>	*
<b>आर्थिक सेवायें</b>							
पंचायती राज संस्थाएं	0.04	...	...	...	0.04	...	*
सांविधिक निगम	7,929.66	27.40	154.28	...	7,802.78	(-)126.88	*
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	45.48	...	24.26	...	21.22	(-)24.26	*
अन्य	96.69	...	0.01	...	96.68	(-)0.01	*
<b>जोड़- आर्थिक सेवायें</b>	<b>8,071.87</b>	<b>27.40</b>	<b>178.55</b>	...	<b>7,920.72</b>	<b>(-)151.15</b>	*
<b>सरकारी कर्मचारी और विविध प्रयोजन</b>							
सरकारी कर्मचारी	28.93	6.85	6.01	...	29.77	(+)0.84	*
विविध प्रयोजन	1.02	...	...	...	1.02	...	*
<b>जोड़- सरकारी कर्मचारी और विविध प्रयोजन</b>	<b>29.95</b>	<b>6.85</b>	<b>6.01</b>	...	<b>30.79</b>	<b>(+)0.84</b>	*
<b>जोड़-</b>	<b>8,132.18</b>	<b>34.25</b>	<b>184.62</b>	...	<b>7,981.81**</b>	<b>(-)150.37</b>	*

\* राज्य सरकार द्वारा जानकारी नहीं दी गई ।

\*\* पृष्ठ संख्या 30 पर आंकड़ों में अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

टिप्पणियां: ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का भाग I देखें ( पृष्ठ संख्या 197 से 201 खण्ड-II) देखें।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी  
भाग-1 ऋण एवं अग्रिम का सार: उधारग्रहीता समूहवार  
शाश्वत ऋणों के रूप में स्वीकृत ऋण के निम्नलिखित मामले हैं।

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष		स्वीकृति आदेश संख्या		राशि	ब्याज दर	
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एच.पी.एम.सी)	2011-12		एच.टी.सी-एफ (11)3/2011		7.00	ब्याज रहित	
	2012-13		एच.टी.सी-एफ (1)3/2010-खण्ड -II		5.00	ब्याज रहित	
	2017-18		एच.टी.सी-एफ (11)-1/2013		8.00	ब्याज रहित	
<b>भाग-2 ऋणों एवं अग्रिमों का सारांश: क्षेत्रवार</b>							
ऋणी समूह	1 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2025 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2024-25 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (6-2)	ब्याज का बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक सेवाएं	30.36	...	0.07	....	30.29	(-)0.07	...
आर्थिक सेवाएं	8,071.86	27.40	178.56	....	7,920.70	(-)151.16	...
अन्य सेवाएं	29.95	6.85	6.01	....	30.79	(+)0.84	...
<b>जोड़-</b>	<b>8,132.17</b>	<b>34.25</b>	<b>184.64</b>	<b>....</b>	<b>7,981.78*</b>	<b>(-)150.39</b>	<b>...</b>

\* पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णांक के बीच ₹ 0.01 करोड़ का अन्तर है।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी  
भाग-3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2025 को बकाया राशि			शीघ्रतन अवधि जिसमें बकाया सम्बंधित है	31 मार्च 2025 को संस्था के विरुद्ध में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज *	जोड़		
1	2	3	4	5	6
नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम	0.57	...	0.57	2001-02	7.57
आवासीय बोर्ड	1.16	...	1.16	2009-10	1.16
एच.पी.एम.सी	14.54	...	14.54	2015-16	60.09
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	5.61	...	5.61	1987-88	5.61
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	74.75	...	74.75	1987-88	2,983.15
सामान्य वित्तीय संस्थाएँ	0.10	...	0.10	1985-86	0.10
<b>जोड़-</b>	<b>96.73</b>	<b>...</b>	<b>96.73</b>		<b>3,057.68</b>

\* राज्य सरकार द्वारा जानकारी नहीं दी गई।

## 8. सरकार के निवेशों की विवरणी

विभिन्न संस्थानों में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान सरकार के निवेश, प्रतिदेय शेयर एवं ऋण पत्र का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

प्रतिष्ठान का नाम	2024-25			2023-24		
	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति
1. सांविधिक निगम/बोर्ड	6	2,797.64	...	6	2,290.01	...
2. सरकारी कम्पनियां	27	2,292.85	0.49	26	2,084.19	3.81
3. अन्य सयुंक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार						
(i) केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां	1	1,098.14	189.90	1	1,098.14	186.74
(ii) अन्य कम्पनियां	13	0.10	...	13	0.10	0.02
<b>जोड़- सयुंक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार</b>	<b>14</b>	<b>1,098.24</b>	<b>189.82</b>	<b>14</b>	<b>1,098.24</b>	<b>186.76</b>
4. सहकारी बैंक	9	13.37	0.10	9	13.37	0.12
5. सहकारी संस्थाएँ और स्थानीय निकाय						
(i) सहकारी समितियां	15	36.98	0.55	15	38.42	0.48
<b>जोड़-</b>	<b>71</b>	<b>6,239.08</b>	<b>191.04</b>	<b>70</b>	<b>5,524.23</b>	<b>191.17</b>

स्रोत: राज्य सरकार

9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी  
क्षेत्रवार-गारंटी

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र(कोष्ठक के अन्तर्गत प्रत्याभूतियों की संख्या)	31 मार्च 2025 अधिकतम गारंटीशुदा राशि*	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर)		वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष के अन्त में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क **		अन्य सामग्री विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	उन्मोचित न की गई	मूलधन	ब्याज	प्राप्य	प्राप्त	
विद्युत (15)	3,035.67	1,153.58	...	953.20	...	748.00	...	...	...	1,358.78	...	5.79	...	...
सहकारी बैंक (1)	400.00	257.94	...	78.00	8.43	62.34	8.43	...	...	273.61	...	...	...	...
सड़क और परिवहन (11)	504.00	233.75	...	...	121.22	70.80	121.22	...	...	162.95	...	...	...	...
राज्य वित्तीय निगम (2)	30.00	6.62	...	5.00	...	5.44	...	...	...	6.18	...	...	...	...
अन्य संस्थान (1)	10.00	7.60	...	...	0.64	0.87	0.64	...	...	6.73	...	...	...	...
अन्य कोई (12)	135.00	85.32	...	20.92	0.41	18.89	0.41	...	...	87.34	...	...	0.99***	...
<b>जोड़ -(42)</b>	<b>4,114.67</b>	<b>1,744.81</b>	<b>...</b>	<b>1,057.12</b>	<b>130.70</b>	<b>906.34</b>	<b>130.70</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1,895.59</b>	<b>...</b>	<b>5.79</b>	<b>0.99***</b>	<b>...</b>

\* यह आंकड़े अधिकतम गारंटीशुदा सीमा राशि को दर्शाता है और इसमें कोई ब्याज राशि शामिल नहीं है।

\*\* इसमें गारंटी शुल्क और प्रतिबद्धता शुल्क भी शामिल हैं।

\*\*\*सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हिमुडा द्वारा जमा किया गया।



## 10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ में दिया हुआ सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

नाम/अनुदानग्राही की श्रेणी	सहायता अनुदान के स्म में जारी कुल निधियाँ			कॉलम 2 के अर्न्तगत कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान				
	2024-25			2023-24	2024-25			2023-24
	राज्य निधि व्यय (क)	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना) (ख)	जोड़ (क+ख)	[राज्य निधि व्यय और केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना) का कुल योग]	राज्य निधि व्यय (क)	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना) (ख)	जोड़ (क+ख)	[राज्य निधि व्यय और केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना) का कुल योग]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 अन्य (उपयुक्त मद 1 से 5 में शामिल नहीं है)	1,241.81	2,142.40	3,384.21	2,253.11	151.97	114.47	266.44	100.67
(i) प्रारम्भिक शिक्षा	100.11	607.94	708.05	441.19	...	...	...	...
(ii) माध्यमिक शिक्षा	51.42	278.31	329.73	281.75	...	...	...	...
(iii) उच्च शिक्षा	48.76	...	48.76	36.51	0.14	...	0.14	0.66
(iv) वन	200.25	...	200.25	115.72	5.16	...	5.16	4.70
(v) सामाजिक कल्याण	164.83	859.85	1,024.68	599.11	2.98	94.92	97.90	50.34
(vi) विविध	676.44	396.30	1,072.74	778.83	143.69	19.55	163.24	44.97
जोड़-	3,564.49	2,666.54	6,231.03	5,092.20	995.35	187.87	1,183.22*	911.06

\* पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णांक के बीच ₹ 0.02 करोड़ का अन्तर है।

## 10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(ii) वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

नाम/अनुदानग्राही की श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां	पूजीगत सम्पत्तियों की प्रकृति के वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य
1	2	3
	2024-25	2024-25
<b>1 पंचायती राज संस्थाएं-</b>		
(i) जिला परिषद	...	...
(ii) पंचायत समितियां	...	...
(ii) ग्राम पंचायत	...	...
<b>2 स्थानीय शहरी निकाय-</b>		
(i) नगर निगम	...	...
(ii) नगर पालिका/नगर परिषद	...	...
(iii) अन्य	...	...
<b>3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-</b>		
(i) सरकारी कम्पनियां	...	...
(ii) सांविधिक निगम	...	...
<b>4 स्वायत्त निकाय-</b>		
(i) विश्वविद्यालय	...	...
(ii) विकास प्राधिकरण	...	...
(iii) सहकारी समितियां	...	...
(iv) अन्य	...	...
<b>5 गैर सरकारी संगठन-</b>		
जोड़-	...	...

टिप्पणी:- राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

## 11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी

विवरण	वास्तविक					
	2024-25			2023-24		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
						(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	6,592.90	41,084.06	47,676.96	5,739.12	38,992.51	44,731.63
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	24.35	5,932.49	5,956.84	12.94	5,616.84	5,629.78
लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त/हस्तांतरण तथा आकस्मिक निधि को अन्तरण (क)	18,168.81	34.25	18,203.06	7,895.87	106.96	8,002.83
<b>जोड़</b>	<b>24,786.06</b>	<b>47,050.80</b>	<b>71,836.86</b>	<b>13,647.93</b>	<b>44,716.31</b>	<b>58,364.24</b>
(क) आंकड़े निम्नवत रूप से निकाले गए हैं						
ड. लोक ऋण						
राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	18,091.38	...	18,091.38	7,788.24	...	7,788.24
केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	77.43	...	77.43	107.63	...	107.63
च. ऋण और अग्रिम*						
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	27.40	27.40	...	98.35	98.35
सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	...	6.85	6.85	...	8.60	8.60
छ. अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त						
अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त	...	...	...	...	...	...
ज. आकस्मिक निधि को अन्तरण						
आकस्मिक निधि को अन्तरण	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़ (क)</b>	<b>18,168.81</b>	<b>34.25</b>	<b>18,203.06</b>	<b>7,895.87</b>	<b>106.95</b>	<b>8,002.82</b>

(i) वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय से कुल व्यय की प्रतिशतता निम्नलिखित हैं।

वर्ष	कुल व्यय के प्रतिशतता	
	प्रभारित	दत्तमत
2023-24	23.38	76.62
2024-25	34.50	65.50

\*विस्तृत लेखा के बारे में अधिक जानकारी हेतु विवरण संख्या 18 देखें।

## 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024-25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
	1	2	3
			4
			(₹ करोड़ में)
<b>पूंजीगत तथा अन्य व्यय-</b>			
<b>सकल पूंजीगत व्यय</b>			
<b>सामान्य सेवाएं</b>			
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.08	...	0.08
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	765.67	49.44	815.11
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	6.59	...	6.59
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	2,190.65	255.73	2,446.38
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	134.93	23.18	158.11
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>3,097.92</b>	<b>328.35</b>	<b>3,426.27</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	4,986.44	340.06	5,326.50
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,596.26	583.93	4,180.19
जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	11,942.87	894.25	12,837.12
सूचना एवं प्रचार	12.24	0.80	13.04
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए	232.55	11.15	243.70
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	182.25	88.09	270.34
अन्य सामाजिक सेवाएं	18.36	...	18.36
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>20,970.97</b>	<b>1,918.28</b>	<b>22,889.25</b>
<b>आर्थिक सेवायें</b>			
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	2,773.53	89.66	2,863.19
ग्रामीण विकास	170.96	30.25	201.21
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	7,037.87	388.53	7,426.40
ऊर्जा	3,575.87	138.15	3,714.02
उद्योग तथा खनिज	956.46	89.28	1,045.74
परिवहन	27,842.89	3,023.24	30,866.13
सामान्य आर्थिक सेवाएं	2,774.09	358.35	3,132.44
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>45,131.67</b>	<b>4,117.46</b>	<b>49,249.13</b>
<b>जोड़-सकल पूंजीगत परिव्यय</b>	<b>69,200.56</b>	<b>6,364.09</b>	<b>75,564.65</b>

## 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024-25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
	1	2	3
			4
			(₹ करोड़ में)
<b>पूंजीगत तथा अन्य व्यय-क्रमश</b>			
<b>पूंजीगत परिव्यय की वसूलियां</b>			
<b>सामाजिक सेवाएं</b>			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	0.24	...	0.24
जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	0.75	...	0.75
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>0.99</b>	<b>...</b>	<b>0.99</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>			
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	1,442.77	47.53	1,490.30
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	567.69	...	567.69
उद्योग तथा खनिज	0.15	...	0.15
परिवहन	70.80	359.75	430.55
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2,081.41</b>	<b>407.28</b>	<b>2,488.69</b>
<b>जोड़-पूंजीगत परिव्यय की वसूलियां</b>	<b>2,082.40</b>	<b>407.28</b>	<b>2,489.68</b>
<b>कुल जोड़- पूंजीगत परिव्यय</b>	<b>67,118.16</b>	<b>5,956.81</b>	<b>73,074.97</b>
<b>ऋण तथा अग्रिम-</b>			
<b>विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-</b>			
<b>सामाजिक सेवाएं</b>			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण	10.15	...	10.15
जलापूर्ति, और सफाई के लिए ऋण	...	...	...
आवास के लिए ऋण	8.32	(-)0.07	8.25
शहरी विकास के लिए ऋण	7.58	...	7.58
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण	3.25	...	3.25
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए ऋण	0.08	...	0.08
प्राकृतिक विपत्ति के लिए राहत के लिए ऋण	0.99	...	0.99
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>30.37</b>	<b>(-)0.07</b>	<b>30.30</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>			
फसल कृषि कर्म के लिए ऋण	93.06	...	93.06
खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार के लिए ऋण	1.06	...	1.06

## 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024-25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
	1	2	3
			4
			(₹ करोड़ में)
<b>पूंजीगत तथा अन्य व्यय-समाप्त</b>			
<b>ऋण तथा अग्रिम-समाप्त</b>			
<b>आर्थिक सेवाएं-समाप्त</b>			
सहकारिता के लिए ऋण	45.62	(-)24.26	21.36
अन्य कृषि कार्यक्रम के लिए ऋण	1.63	...	1.63
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण	0.18	...	0.18
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	7,841.72	(-)126.89	7,714.83
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	0.10	...	0.10
ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए ऋण	3.87	(-)0.01	3.86
उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य ऋण	84.61	...	84.61
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	28.94	0.84	29.78
विविध ऋण	1.02	...	1.02
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएँ</b>	<b>8,101.81</b>	<b>(-)150.32</b>	<b>7,951.49</b>
<b>जोड़-ऋण तथा अग्रिम</b>	<b>8,132.18</b>	<b>(-)150.39</b>	<b>7,981.79</b>
आकस्मिक निधि में स्थानांतरण	...	...	...
<b>जोड़-पूंजीगत तथा अन्य व्यय</b>	<b>75,250.34</b>	<b>5,806.42</b>	<b>81,056.76</b>
घटाएँ- आकस्मिकता निधि से अशंदात	...	...	...
<b>कुल-पूंजीगत और अन्य व्यय</b>	<b>75,250.34</b>	<b>5,806.42</b>	<b>81,056.76</b>
<b>निधि के प्रमुख स्रोत</b>			
<b>ऋण-</b>			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	61,439.29	6,009.09	67,448.38
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	5,661.89*	2,444.26	8,106.15
लघु बचते, भाविष्य निधि, आदि	19,337.58	1,529.81	20,867.39
<b>जोड़-ऋण</b>	<b>86,438.76</b>	<b>9,983.16</b>	<b>96,421.92</b>
<b>अन्य दायित्व-</b>			
आकस्मिकता निधि	5.00	...	5.00
आरक्षित निधियाँ	2,279.77	599.67	2,879.44

\* जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के बैंक-टू-बैंक ऋण के कारण पूर्व अवधि समायोजन के कारण पिछले वर्ष के समापन शेष से ₹ 3,267.94 करोड़ का अन्तर है।

## 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024-25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
<b>अन्य दायित्व-समाप्त</b>			
जमा तथा अग्रिम	3,645.97	384.06	4,030.03
उच्चत तथा विविध (सरकारी लेखे तथा रोकड शेष निवेश लेखा को संवृत राशि के अतिरिक्त)*	265.09	4.67	269.76
प्रेषण	620.25	183.98	804.23
<b>जोड़-अन्य दायित्व</b>	<b>6,816.08</b>	<b>1,172.38</b>	<b>7,988.46</b>
<b>जोड़-ऋण तथा अन्य दायित्व</b>	<b>93,254.84</b>	<b>11,155.54</b>	<b>1,04,410.38</b>
<b>अन्य प्राप्तियां-</b>			
घटाएं- रोकड शेष	42.44	2.30	44.74
घटाएं- निवेश*	1,457.81	(-)1,457.81	...
<b>निधियों का निवल प्रावधान</b>	<b>91,754.59</b>	<b>12,604.72</b>	<b>1,04,365.64</b>
राजस्व (+) आधिक्य/(-) घाटा		(-)6,804.60	
जमा-सरकारी लेखे को संवृत राशि	...	...	...
<b>निधियों का निवल प्रावधान</b>		<b>5,806.45</b>	
<b>प्रगतिशील कुल पूंजीगत और अन्य व्यय</b>			<b>81,056.76</b>
<b>निधि का प्रगतिशील प्रमुख स्रोत</b>			<b>1,04,365.64</b>
<b>अंतर</b>			<b>(-)23,308.88**</b>
<b>** (-) ₹ 23,308.88 करोड़ का अंतर, नीचे दिए गए है:</b>			
<b>1. राजस्व घाटा</b>			
(i) 31 मार्च 2024 तक राजस्व घाटा		(-)19,820.77	
(ii) चालू वर्ष घाटा(-)/आधिक्य(+)		(-)6,804.60	(-)26,625.37
(iii) 31 मार्च 2024 तक पूंजीगत प्राप्ति		70.36	
(iv) वर्ष 2024-25 के दौरान तक पूंजीगत प्राप्ति		...	70.36
<b>2. राशियों का निम्न समाधान</b>			
(i) अंतर्राज्यीय समाधान		(-)1.43	
(ii) कुल राशि का "7999-आकस्मिकता निधि को विनियोजन"		(-)5.00	
(iii) विविध सरकारी लेखे		(-)7.84	
(iv) प्रोफार्मा द्वारा कुल राशि का समायोजन		(-)7.50	
(v) पी.पी.ए. के द्वारा कुल राशि का समायोजन		3,267.94	3,246.17
<b>कुल जोड़-</b>			<b>(-)23,308.84***</b>

\* निवेश के आंकड़े केवल मुख्य शीर्ष 8673 के तहत दर्शाए उच्चत तथा विविध में शेष रहने के कारण पिछले वर्ष के समापन शेष अन्तर है।

\*\*\* पूर्णांकित के बीच ₹ 0.04 करोड़ का अन्तर है।

**13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार**

(क) 31 मार्च 2025 को शेष राशियों का सारांश निम्न प्रकार से है:-

नाम शेष	लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष (₹ करोड़ में)
96,383.84 (क)	क से घ, छ, ज, तथा ठ का भाग (मुख्य शीर्ष 8680 केवल)	समेकित निधि सरकारी लेखा	
	ड.	<b>लोक ऋण</b>	
		(i) राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	67,448.38
		(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	8,106.15*
7,981.79*	च- छ-	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	
		<b>आकस्मिकता निधि</b>	
		आकस्मिकता निधि	5.00
	झ-	<b>लोक लेखा</b>	
		लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	20,867.39
	ञ-	<b>आरक्षित निधि</b>	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	2,739.21
		(ii) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	140.23
	ट-	सकल शेष	
		<b>जमा और अग्रिम</b>	
		(i) ब्याज वाली जमा राशियां	16.60
		(ii) ब्याज रहित जमा राशियां	4,013.95
		(iii) अग्रिम	(-0.51)
0.19	ठ-	<b>उचन्त और विविध</b>	
		(i) निवेश	
		(ii) अन्य मदे (निवल)	269.95
	ड-	<b>प्रेषण</b>	
		(i) एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच रोकड़ प्रेषण व समायोजन	804.14
		(ii) अर्न्तसरकारी समायोजन लेखे	0.08
44.74 (ख) 0.01	ढ-	<b>रोकड़ शेष</b> खातों को पूर्णांकित करने पर	...
<b>1,04,410.57</b>		<b>जोड़</b>	<b>1,04,410.57</b>

(क) इन आंकड़ों को समझने के लिए कृपया (ख) पृष्ठ संख्या 40 (खण्ड-I) देखें।

(ख) रोकड़-शेष में शामिल रिजर्व बैंक के पास जमा से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों तथा लेखाओं में प्रदर्शित किए गए आंकड़ों के बीच अन्तर था। इस विसंगति का समाधान किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 40 (खण्ड-II) पर पाद टिप्पणी (क) भी देखें।

\* पूर्णांकित के विभिन्न स्तर के कारण विवरणी 6 और 7 क के आंकड़ों से अन्तर है।

### 13.समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

**ख. सरकारी लेखा:-** सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूंजीगत और अन्य सरकारी लेन-देनों के अन्तर्गत बुक किए गए वे लेखे जिनके बकायों को वर्ष-प्रतिवर्ष अग्रेषित नहीं किया जाता है, उन्हें “सरकारी लेखा” नामक एकल शीर्ष के अन्तर्गत बन्द कर दिया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया इस प्रकार के सभी लेन-देनों के संचित परिणामों को प्रकट करता है।

इसमें लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और अग्रिम, उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखाओं के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिक निधि आदि के अन्तर्गत बकायों को जोड़ कर वर्ष के अन्त में रोकड़ अन्त शेष निकाला जा सके और उसे प्रमाणित किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्ष सरकारी बहियों के उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकायों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सरकार का प्राप्त किए गए धन को लौटाने का दायित्व है या जहां सरकार अदा की गई रकम वसूल करने का अधिकार रखती है और ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी सम्मिलित हैं, जो प्रेषण से सम्बन्धित लेन-देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले जाते हैं।

यह जानना आवश्यक है कि ये बकाए सरकार की वित्तीय स्थिति के सम्पूर्ण अभिलेख नहीं कहे जा सकते क्योंकि ये राज्य की सारी प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार साधन आदि और न ही उपचित देयों या बकाया दायित्वों, को सम्मिलित नहीं करते जिनका सरकार द्वारा अपनाई गई रोकड़ लेखा पद्धति के अन्तर्गत लेखांकन नहीं किया जाता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे डाली गई शुद्ध राशि निम्नलिखित प्रकार से है:-

			(₹ करोड़ में)
नामे	विवरण	जमा	
86,890.34	क. 1 अप्रैल 2024 को सरकारी लेखे में नामे शेष		
	ख. प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	40,872.35	
	ग. प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	...	
47,676.96	घ. व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)		
5,956.83	ड. व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)		
	च. उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा)	...	
	छ. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखे	...	
	बैंक टू बैंक ऋण के परफार्मा संशोधन के कारण समायोजन	3,267.94	
	ज. 31 मार्च 2025 को सरकारी लेखों में नामे शेष	96,383.84	
...	खातों को पूर्णांकित करने पर	...	
<b>1,40,524.13</b>	<b>जोड़</b>	<b>1,40,524.13</b>	

**टिप्पणी:-** कई मामलों में अन्तिम शेषों में असमायोजित भिन्नताएं हैं जैसा कि प्राप्ति, वितरण और आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे की विवरणियों (विवरणी-21) में बताया गया है व लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालय के इस उद्देश्य से बनाए गए रजिस्ट्रों अथवा रिकार्ड में दर्शाया गया है। विसंगतियों के समाधान के लिए पग उठाये जा रहे हैं।

शेष राशि को सत्यापन और स्वीकृति के लिए हर साल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है। बड़ी संख्या में मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

## 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार-समाप्त

संलग्नक								
आई.जी.ए.एस.-4 के अनुपालन में पुर्व अवधि समायोजन								
(₹ करोड़ में)								
क्रम संख्या	संशोधन का प्रकार	लेखों का शीर्ष	01.04.2024 तक प्रारंभिक शेष राशि को आगे बढ़ाना	पुर्व अवधि समायोजन का वर्ष	संशोधन की राशि	संशोधन का कारण	संशोधन के बाद 01.04.2024 प्रारंभिक शेष	यदि कोई टिप्पणी हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रोफार्मा संशोधन (महालेखाकारों के लिए लेखा कोड का पैरा 7.13)	6004-02-101-10	1,717.00	2023-24	1,248.36	भारत के लोक लेखे में जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति निधि से केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किए गए जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के बदले में बैंक टू बैंक ऋण का पुनर्भुगतान	शुन्य	क्योंकि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को बैंक टू बैंक ऋण चुकाया नहीं जा सका, इसलिए इसका प्रभाव विवरण 13 में 31 मार्च 2025 तक सरकारी खाते की गणना में पारलक्षित हुआ है।
		6004-09-101-03	2,695.22	2024-25	1,550.94		1,144.28	
		<b>जोड़</b>	<b>4,412.22</b>		<b>3,267.94</b>		<b>1,144.28</b>	

## वर्ष 2024-25 के लिए वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ

### 1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश:

#### (i) प्रतिवेदन इकाई:

ये लेखे हिमाचल प्रदेश सरकार के लेनदेन को प्रस्तुत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियों और अदायगी लेखों को 19 कोषागारों (एक नव सृजित एस.एन.ए.-स्पर्श कोषागार सहित), 96 लोक निर्माण प्रभागों {77 भवन एवं सड़कों (तीन नव सृजित भवन एवं सड़क प्रभागों सहित), 08 राष्ट्रीय राजमार्ग, 06 यांत्रिक, 05 विद्युत}, 72 जल शक्ति प्रभाग (तीन नव सृजित जल शक्ति प्रभागों सहित) द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक खातों और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुदेशों के आधार पर संकलित किया गया है। वर्ष के अंत में कोई भी लेखा अपवर्जित नहीं किया गया है।

#### (ii) प्रतिवेदन अवधि:

इन लेखों की प्रतिवेदन अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 है।

#### (iii) प्रतिवेदन मुद्रा:

हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे भारतीय रूपये (₹) में बताए गए हैं।

#### (iv) लेखों के स्वरूप:

भारत के संविधान के अनुच्छेद-150 के अधीन, संघ एवं राज्य के लेखों को उसी प्रारूप में रखा जाता है जैसा कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करें। अनुच्छेद-150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रारूप' का व्यापक अर्थ है जिसमें न केवल लेखों को रखे जाने के विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही शामिल है अपितु लेनदेनों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उचित लेखा-शीर्षों के चयन के आधार को भी सम्मिलित किया गया है।

#### (v) बजट और वित्तीय प्रतिवेदन का आधार:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, एक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट कहा जाता है) वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले अनुदान/विनियोग के रूप में विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है। बजट को बिना वसूली और प्राप्तियों के सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी में समायोजित करने की अनुमति होती है। बजट और खातों के शीर्षों से संबंधित सभी अनुदान/विनियोग, जिनकी शेष राशि अग्रेषित नहीं की जाती है, वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाती हैं।

**बजट और लेखों:** राज्य के बजट और लेखे दोनों एक ही लेखा अवधि, लेखांकन के नकद आधार और वर्गीकरण के समान आधार का पालन करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से लेखा महानियंत्रक द्वारा अधिसूचित प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार लेखों को लघु शीर्षों के स्तर तक वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक राज्य में प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय द्वारा सहमति के अनुसार लघु शीर्षों के नीचे वर्गीकरण किया जाता है।

एक अलग बजट तुलना विवरण विनियोग लेखों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुदानों/विनियोगों की तुलना में वास्तविक संवितरण का प्रतिनिधित्व करता है। विनियोग खाते सकल आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्त खातों में शुद्ध आंकड़ों का मिलान करने के लिए विनियोग खातों में एक समाधान विवरण शामिल किया जाता है।

**नकदी आधार:** लेखे वास्तविक नकद प्राप्तियों और प्रतिवेदन अवधि के दौरान संवितरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे पुस्तकीय समायोजन के अपवाद के साथ जो अधिकृत हैं। वित्त लेखाओं में प्राप्तियां और संवितरण निवल वसूली, कटौती और धन वापसी के शुद्ध आधार पर हैं।

**पुस्तकीय समायोजन:** पुस्तकीय समायोजन गैर-नकद लेनदेन है जो लेखों में समायोजन/समाधान के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रदान करने वाली इकाइयों के स्तर पर होते हैं, जैसे, कोषागार, प्रभाग, आदि, वेतन से

राजस्व प्राप्तियों/ऋणों/लोक लेखे में कटौती और वसूली के समायोजन के लिए, समेकित निधि और लोक लेखा के मध्य धन के हस्तांतरण के लिए 'शून्य' बिल आदि।

प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय में पुस्तकीय समायोजन भी किया जाता है। इनमें, अन्य के साथ, संचित निधि (जैसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष, निक्षेप निधि, आदि) को नामे करके लोक लेखे में निधियों के निर्माण और योगदान के लिए बुकिंग शामिल है, संचित निधि को नामे करके लोक लेखे में लेखों के आरक्षित निधि/जमा शीर्षों को जमा करना, सामान्य भविष्य निधि और राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन प्रमुख शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान को नामे करके और संबंधित प्रमुख शीर्षों को लोक लेखा में जमा करना; केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की योजना के तहत ऋण माफी का समायोजन, आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति, आदि।

**पूंजीगत और राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण:** पूंजीगत व्यय, स्थायी प्रकृति की वास्तविक संपत्ति (सरकारी स्थापना में उपयोग के लिए और व्यवसाय के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए नहीं) या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। रखरखाव, मरम्मत, अनुसंधान और काम करने के खर्चों पर बाद के शुल्क, जो एक चालू क्रम में संपत्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेखों में पूंजीगत और राजस्व व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

**भौतिक एवं वित्तीय संपत्तियों और दायित्व:** भौतिक संपत्तियां और वित्तीय संपत्तियां (जैसे निवेश, ऋण और सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम, आदि) साथ ही दायित्व जैसे, ऋण आदि को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। भौतिक संपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है और वित्तीय संपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है। भौतिक परिसंपत्तियों में हुई क्षतियों को उनके समाप्ति काल पर खपाया या मान्य नहीं किया गया है।

**सहायता अनुदान:** आई.जी.ए.एस. 2-सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण के अनुपालन में नकद सहायता अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, भले ही इसमें अनुदानग्राही द्वारा संपत्ति का निर्माण शामिल हो, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर सभी अनुदान प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवरण वित्त लेखों के विवरण 10 और परिशिष्ट III में दर्शाया गया है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने पर वस्तु के रूप में दी गई सहायता अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रकट की जाएगी।

**ऋण और अग्रिम:** आई.जी.ए.एस. 3-सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 में प्रकट किया गया है। 31 मार्च 2025 को विवरणी में दर्शाया गया अंतिम शेष राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया है।

**पूर्व अवधि समायोजन:** आई.जी.ए.एस 4-पूर्व अवधि समायोजन के अनुपालन में, राज्य सरकार मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समायोजन करती है और ऐसी जानकारी का खुलासा करती है, जो पूर्व अवधि की त्रुटियों से संबंधित होती है और सरकारी निर्णयों में परिवर्तन के कारण पूर्व अवधि समायोजन की आवश्यकता वाली प्रविष्टियों को शामिल करती है, जो पिछले वर्षों के दौरान चालू शेष और प्रगतिशील राशियों को प्रभावित कर सकती है जिनके लिए खाते बंद कर दिए गए हैं।

**सेवानिवृत्ति लाभ:** प्रतिवेदन अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृत्ति लाभों को पे-एज़-यू-गो आधार के अनुसार लेखों में दर्शाया गया है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के प्रति सरकार की भविष्य की पेंशन देयता, यानि, अतीत और वर्तमान सेवा के लिए उसके कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की देयता मुख्य शीर्ष-2071 के अंतर्गत लेखों में शामिल नहीं किया गया है। कर्मचारियों के प्रति सरकार की अनुमानित भविष्य की पेंशन देनदारी परिशिष्ट-XII में दर्शाई जानी है।

**(vi) पूर्णांकन:**

विवरण आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो संबंधित विवरणों के शीर्ष पर दर्शाए गए अनुसार ₹ लाख में और ₹ करोड़ में पूर्णांकित होते हैं। विभिन्न कथनों में निरपेक्ष आंकड़ों के साथ-साथ पूर्णांकित अंकों के सम्बन्ध में जहां भी अंतर होता है, वह आंकड़ों को पूर्णांकन के कारण होता है।

**(vii) रोकड़ नकद शेष:**

लेखों में रिपोर्ट किए गए रोकड़ शेष एक वर्ष के 31 मार्च के अंत में राज्य का शेष है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग के साथ राज्य सरकार के लेखे में दर्ज किया गया है। रोकड़ शेष वर्ष के लिए राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से जुड़े रोकड़ लेनदेन के बाद शेष राशि को दर्शाता है। पुस्तकीय समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करते क्योंकि वे गैर-नकद लेनदेन हैं। वित्त लेखों में दर्ज किया गया रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तक के साथ समाधान के अधीन है।

**(viii) आकस्मिक और प्रतिबद्ध देनदारियों का प्रकटीकरण:**

आई.जी.ए.एस.1: 'सरकारों द्वारा दी गई गारंटी' 'गारंटियों के क्षेत्र-वार विवरण विवरणी 9 में प्रकट किए गए हैं तथा क्षेत्र और वर्ग-वार विवरण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार वित्त लेखों के विवरणी 20 में दर्शाए गए हैं।

सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती है और प्रतिबद्धताओं को न तो दर्ज किया जाता है और न ही प्रतिबद्धता के प्रतिदायित्व लेखों में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, इसे वित्त लेखों के परिशिष्ट XII के तहत अपनी भविष्य की प्रतिबद्धताओं का खुलासा करना है।

**(ix) पास-थ्रू लेनदेन:**

प्राप्तियों की प्रकृति में पास-थ्रू लेनदेन राज्य द्वारा एकत्र की गई, लेकिन अन्य इकाई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता वित्त लेखों के टिप्पणियों में प्रकट की जाती है। इनमें राज्य कैम्पा कोष में वर्ष के संग्रह का 10 प्रतिशत सालाना आधार पर राष्ट्रीय कोष में हस्तांतरित करना, रॉयल्टी का दो प्रतिशत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को हस्तांतरित करना, श्रम उपकर एकत्रित कर सरकारी खाते में रखना और 'भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' को हस्तांतरित करना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर राज्य को प्राप्त केंद्रीय हिस्सेदारी का हस्तांतरण, केंद्रीय क्षेत्र एकल नोडल एजेंसी के लिए योजनाएं, सार्वजनिक खाते में नामित प्रमुख शीर्ष से नामित निधि प्रबंधक को एन.पी.एस योगदान का हस्तांतरण आदि शामिल हो सकता है।

**2. लेखांकन ढांचे का अनुपालन:****(i) मासिक लेखों को बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा लेखों को स्थिर न करना:**

मौजूदा प्रथा के अनुसार, एक बार राज्य द्वारा बंद किए गए और प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय को सौंपे गए लेखों को किसी भी बदलाव के लिए नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि इस से मासिक लेखों का गलत प्रतिनिधित्व होगा। मासिक लेखों को बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा लेखों को स्थिर न करने से प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय को मासिक लेखे जमा करने के बाद डेटा संशोधन की संभावना हो सकती है और प्रधान महालेखाकार कार्यालय और राज्य सरकार के बीच आंकड़े/डेटा का अंतर हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मासिक लेखों को बंद कर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय में भेजने के बाद मासिक लेखों को स्थिर करने का प्रावधान है।

**(ii) अनाधिकृत शीर्षों का संचालन:**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसा कोई उदाहरण संज्ञान में नहीं आया है।

**(iii) परामर्श के बिना नए उप शीर्षों/विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना:**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राज्य के लेखों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा परामर्श के अनुसार रखा जाना है। वर्ष 2024-25 के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के परामर्श या सूचना के बिना बजट में कोई नया उप शीर्ष नहीं खोला है।

**3. समेकित निधि:****(i) माल एवं सेवा कर:**

माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य का माल एवं सेवा कर संग्रहण वर्ष 2023-24 में ₹ 5,339.89 करोड़ की तुलना में ₹ 476.72 करोड़ (8.93 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ ₹ 5,816.61 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के तहत राज्य को सौंपे गये शुद्ध आय के अपने हिस्से के रूप में ₹ 3,119.54 करोड़ प्राप्त हुए। माल एवं सेवा कर के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 8,936.15 करोड़ थी। राज्य को वर्ष 2024-25 के दौरान माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व हानि के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹ 50.93 करोड़ का गैर-ऋण मुआवजा प्राप्त हुआ।

*प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी संख्या 14 में उपलब्ध है।*

**(ii) व्यय शीर्षों का गलत वर्गीकरण/गलत संचालन:**

वर्ष 2024-25 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रभार' के अंतर्गत ₹ 2,666.97 करोड़ का बजट और व्यय दर्ज किया है। ₹ 2,666.97 करोड़ की इस राशि में से, ₹ 1,747.60 करोड़ से संबंधित वाउचरों की नमूना जाँच की गई, जिसमें यह पाया गया कि आरक्षित निधि में स्थानांतरण से संबंधित ₹ 691.97 करोड़ और न्यायालय के आदेशों पर मुआवजे से संबंधित ₹ 127.56 करोड़ क्रमशः व्यय शीर्ष '49- अंतर खाता हस्तांतरण' और '29-मुआवजा' के बजाय वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किए गए थे। विशिष्ट व्यय शीर्ष के बजाय सर्वव्यापी व्यय शीर्ष '20-अन्य प्रभार' के अंतर्गत व्यय का बजटीकरण और दर्ज करने की प्रथा व्यय की प्रकृति की पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

**(iii) मुख्य नियंत्रक अधिकारियों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के मध्य प्राप्ति तथा व्यय और राज्य द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का मिलान:**

सभी नियंत्रक अधिकारियों को (हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 119(2) के अनुसार) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा दर्ज आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां ₹ 38,895.59 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 95.16 प्रतिशत) और राजस्व व्यय ₹ 33,932.71 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 71.17 प्रतिशत) और पूंजीगत व्यय ₹ 4,898.59 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 82.23 प्रतिशत) का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम ₹ 34.25 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण और अग्रिम का 100 प्रतिशत) की राशि का मिलान किया गया।

इसकी तुलना में, पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां ₹ 39,173.05 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 100 प्रतिशत) और राजस्व व्यय ₹ 44,731.63 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 100 प्रतिशत) और पूंजीगत व्यय ₹ 5,629.79 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 100 प्रतिशत) का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 106.95 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण और अग्रिम का 100 प्रतिशत) की राशि का मिलान किया गया।

**(iv) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के तहत बुकिंग:**

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/800-अन्य प्राप्तियां का संचालन केवल तब किया जाना चाहिये जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं करवाया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिये, क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 21 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत, ₹ 1,187.76 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय<sup>1</sup> (₹ 53,633.78 करोड़) का 2.21 प्रतिशत, लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत लेखों में वर्गीकृत किया गया था। पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान, 19 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 530.09 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 50,361.42 करोड़) का 1.05 प्रतिशत, लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत लेखों में वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 46 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,682.95 करोड़, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 40,872.35 करोड़) का 6.56 प्रतिशत, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। पिछले वर्ष, 47 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,425.22 करोड़, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 39,173.05 करोड़) का 6.19 प्रतिशत, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

<sup>1</sup> इसमें ऋण एवं अग्रिम तथा सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान शामिल नहीं है।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 14, 15, तथा 16 का संदर्भ है।

**(v) व्यक्तिगत जमा (पी.डी.)/व्यक्तिगत खाता बही (पी.एल.) खातों में धनराशि का हस्तांतरण:**

पी.डी. खाते नामित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय करने में सक्षम बनाते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य की समेकित निधि से पी.डी.खातों में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश में पी.डी. खाते हैं, लेकिन वे राज्य की समेकित निधि के अलावा अन्य स्रोतों से संबंधित हैं, जैसे शेरिफ पैटी खाता।

**(vi) असमायोजित सार आकस्मिक (ए.सी.) बिल:**

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 183(3)(v) में परिकल्पना की गई है कि सरकारी खजाने से तब तक कोई पैसा नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक की तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। आकस्मिक परिस्थितियों में, आहरण और संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ) को सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से धन राशि आहरित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 187 के अनुसार, डी.डी.ओ. को एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी.सी.सी.) बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है।

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 के दौरान ए.सी. बिलों की पहचान के लिए तंत्र स्थापित किया गया था। वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 7.19 करोड़ की राशि के कुल 244 ए.सी. बिल आहरित किये गए, जिनमें से ₹ 0.02 करोड़ (0.28 प्रतिशत) की राशि के 07 ए.सी. बिल मार्च 2025 में आहरित किये गए। वर्ष के अंत में समायोजन के लिए कोई भी ए.सी. बिल लंबित नहीं रहा।

**(vii) सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्राप्त न होना:**

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 157 के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान या संगठन सहायता अनुदान के उपयोग के बाद सरकार को लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग पत्र क्रमांक 1-3/73-फिन (रजि.), दिनांक 28 जनवरी 1976 के अनुसार पहले दिये गए अनुदान के उचित उपयोग का तय समय में यानि अनुदान की अवधि से एक वर्ष के दौरान प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले संस्थानों को आगे अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान में दिनांक 05-12-2024 से संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों या संगठनों को अनुदान प्राप्ति के छह महीने के भीतर सरकार को लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे और

इसका उपयोग प्राप्ति के तीन महीने के भीतर या अगली किश्तों के जारी होने से पहले, जो भी पहले हो, किया जाना चाहिए। यू.सी. प्रस्तुत न करने के जोखिम है कि वित्त लेखों में दिखाई गई राशि लाभार्थियों तक न पहुंची हो।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 22,512 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र से सम्बंधित ₹ 7,887.44 करोड़ 31 मार्च 2025 तक की अवधि के देय थे (31 मार्च 2024 तक निकाले गए जी.आई.ए.बिल)। इनमें से 19,991 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र से सम्बंधित ₹ 4,562.91 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। 31 मार्च 2025 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष*	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2023-24 तक	1,375	1,176.48
2024-25	1,146	2,148.05
<b>कुल</b>	<b>2,521 #</b>	<b>3,324.53 #</b>
<b>वर्ष</b>	जमा करने की नियत तारीख से पहले जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	...
2024-25	3	38.61

\*ऊपर उल्लिखित वर्ष "नियत वर्ष" से सम्बंधित है, अर्थात्, वास्तविक निकासी के एक वर्ष के बाद।

# इनमें सी.एस.एस. से सम्बंधित ₹ 1,200.49 करोड़ की 155 बकाया यू.सी शामिल हैं।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 10 तथा परिशिष्ट-III के संदर्भ हैं।

#### (viii) ब्याज समायोजन:

सरकार जे-आरक्षित निधियां (क. सब्याज आरक्षित निधियां) और ट-जमा और अग्रिम (क.सब्याज जमा राशियां) के तहत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उप-प्रमुख शीर्ष लेखा के प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किए गये ब्याज और इन निधियों/जमाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

निधि/जमा	1 अप्रैल 2024 को अथ शेष	ब्याज की गणना के लिए आधार	ब्याज देय	ब्याज भुगतान	ब्याज कम भुगतान
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	16.50	सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज के अनुसार 7.10 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गयी है।	1.18	शून्य	1.18
राज्य आपदा प्रातिक्रिया निधि	58.15	2024-25 के दौरान ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए 8.46 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई है।	14.41	शून्य	14.41
राज्य आपदा शमन कोष	43.46		7.42	शून्य	7.42
<b>कुल</b>			<b>23.01</b>	<b>शून्य</b>	<b>23.01</b>

₹ 23.01 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय ₹ 23.01 करोड़ कम बताया गया।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 15, 21 तथा 22 के आंकड़ों का संदर्भ है।

**(ix) सरकार द्वारा दी गई गारंटियां:**

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005, (2011 में संशोधित), के अनुसार कुल बकाया सरकारी गारंटी पिछले वित्तीय वर्ष की राज्य राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत राशि ₹ 1,057.12 करोड़ थी। 31 मार्च 2025 तक ₹ 1,895.59 करोड़ की बकाया गारंटी, वर्ष 2023-24 की राज्य राजस्व प्राप्तियों (₹ 39,173.05 करोड़) का 4.84 प्रतिशत बनती है और निर्धारित सीमा के भीतर है।

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 168 के अन्तर्गत, सरकार गारंटी जारी करने के लिये गारंटीकृत राशि का 1.00 प्रतिशत गारंटी शुल्क और 0.20 प्रतिशत प्रतिबद्धता शुल्क वसूल करेगी।

2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के रूप में हिमुडा से ₹ 0.99 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो वर्ष के दौरान दी गई गारंटी राशि का 0.09 प्रतिशत था।

*प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी 9, 14 और 20 में उपलब्ध हैं।*

**(x) पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय:**

राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रति किए गए व्यय को वित्त लेखों में विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष के स्तर तक दर्शाया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रमुख शीर्षों 2402, 2406 और 3435 के तहत ₹ 990.86 करोड़ के बजट आवंटन के मुकाबले ₹ 866.52 करोड़ खर्च किए। पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रमुख शीर्ष 2402, 2406 और 3435 के तहत ₹ 951.41 करोड़ के बजट आवंटन के मुकाबले ₹ 715.67 करोड़ खर्च किए थे।

*इसमें वित्त लेखों के विवरणी 15 का संदर्भ है।*

**(xi) अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं/आपदा से सम्बन्धित व्यय:**

वर्ष 2024-25 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य शीर्ष 2245 के तहत अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित राहत उपायों पर ₹ 720.48 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹ 1,239.18 करोड़) खर्च किए। यह पूरी रकम राजस्व व्यय से सम्बन्धित थी।

सरकार को इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार से ₹ 647.62 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें अनुदान/केंद्रीय सहायता आदि शामिल हैं, जिसका लेखांकन मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत किया गया है।

*इसमें वित्त लेखों के विवरणी 14, 15 और 21 का संदर्भ है।*

**(xii) केंद्रीय ऋणों को बट्टे खाते में डालना:**

तेरहवें वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, के फरवरी 2012 में सिफारिशों के दृष्टिगत भारत सरकार ने केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों के अलावा) को बट्टे खाते में डाल दिया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) तथा इसके कार्यान्वयन से किए गए मूलधन और ब्याज की अधिक चुकौती को समायोजित करने और वित्त मंत्रालय को भविष्य में भुगतान के विरुद्ध इसके समायोजन की अनुमति दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2025 के अंत तक ₹ 15.58 करोड़ (मूलधन ₹ 7.72 करोड़, ब्याज ₹ 7.86 करोड़) का अतिरिक्त पुनर्भुगतान किया था, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹ 12.31 करोड़ का समायोजन किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान कोई राशि समायोजित नहीं की गई है।

*इसमें वित्त लेखों की विवरणी 17 का संदर्भ है।*

**(xiii) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणः**

31 मार्च 2025 तक छः ऋणी संस्थाओं से जुड़े ₹ 96.73 करोड़ के पुराने ऋणों के संबंध में, जिसमें वर्ष 1985-86 से लंबित ऋण भी शामिल हैं मूलधन की वसूली पिछले कई वर्षों के दौरान नहीं हुई हैं।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) वार्षिक रूप से सत्यापन और स्वीकृति के लिए ऋण शेष राशि (जहां प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा विस्तृत लेखों का रखरखाव किया जाता है) को ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करता है। छह ऋणी संस्थाओं में से चार ने बकाया राशि की पुष्टि की है। शेष राशि के मिलान हेतु विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखों के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

*इसमें वित्त लेखों के विवरणी 7 और 18 का संदर्भ है।*

**(xiv) प्रतिबद्ध देयताएंः**

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन के उपचय आधार की ओर बढ़ने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि, चूंकि बदलाव चरणों में होगा, लेखांकन की उपचय आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए, निर्णय में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विवरण के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी को रोकड़ लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में जोड़ा जाना आवश्यक है। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देनदारियों के बारे में जानकारी देनी होती है और इसे वित्त लेखा खंड-II के परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है। हालांकि, राज्य सरकार ने इसे प्रस्तुत नहीं किया।

**(xv) केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.) पर व्ययः**

वर्ष के दौरान, 31 मार्च 2025 तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत दर्ज किया गया कुल व्यय ₹ 6,727.35 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 5,131.18 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 1,596.17 करोड़) है, जिसमें केंद्रीय हिस्से से व्यय (₹ 4,687.49 करोड़) और राज्य के हिस्से का व्यय (₹ 2,039.86 करोड़) शामिल है। राज्य के हिस्से के व्यय में भारत सरकार से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना अनुदान से वित्त पोषित ₹ 1,245.89 करोड़ का व्यय शामिल है, जिसे केन्द्रीय हिस्से के व्यय में शामिल किया जाना चाहिए था।

*इसमें वित्त लेखों के विवरणी 15 और 16 का संदर्भ है।*

**(xvi) केंद्र सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन एजेंसियों/लाभार्थियों को केंद्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरणः**

लेखा महानियंत्रक के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, 2024-25 के दौरान राज्य में, लाभार्थियों (एन.जी.ओ, केंद्र सरकार संगठन, वैधानिक संगठन, शहरी/ग्रामीण निकाय, लाभार्थी, आदि) सहित क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष ₹ 1,852.42 करोड़ प्राप्त हुए। क्रियान्वयन एजेंसियों को निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 2023-24 की तुलना में 4.83 प्रतिशत घट गया है (2023-24 में ₹ 1,946.42 करोड़ से 2024-25 में ₹ 1,852.42 करोड़)।

*विवरण वित्त लेखों के परिशिष्ट-VI में है।*

**(xvii) राज्य सरकार की बजट से बाहर की देयताएँ, निहित सब्सिडी और नीतिगत निहितार्थों के कारण राजकोषीय बोझः**

ऑफ-बजट उधार लेना सरकार का दायित्व है क्योंकि मूलधन और उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से सरकारी बजट के माध्यम से राज्य इकाई को सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाता है।

राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ-बजट देनदारियों का खुलासा नहीं किया।

राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) कार्यालय को सूचित किया कि राज्य ने 2024-25 के दौरान कोई भी ऑफ-बजट उधार नहीं लिया है।

वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने उदय के तहत जारी बांड पर ₹ 289.05 करोड़ का मूलधन और ₹ 183.51 करोड़ का ब्याज चुकाया है।

**(xviii) एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) को धनराशि का हस्तांतरण:**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23-03-2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) के तहत धन जारी करने और एकल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सी.एस.एस के लिए, एस.एन.ए. की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनूसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ जाती हैं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2023 के अनुसार, राज्य सरकार केंद्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ-साथ राज्य हिस्सेदारी को एस.एन.ए. खाते में स्थानांतरित कर देगी। एस.एन.ए. खाते में केंद्रीय हिस्सेदारी के हस्तांतरण में 30 दिनों से ज्यादा की देरी पर 01-04-2023 से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

राज्य सरकार/पी.एफ.एम.एस.की एस.एन.ए. 01 रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान खजाने में केंद्राश के रूप में ₹ 4,090.75 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2025 तक, सरकार ने ₹ 4,279.97 करोड़ केंद्र का हिस्सा और ₹ 796.51 करोड़ राज्य का हिस्सा एस.एन.ए. को हस्तांतरित किया। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एस.एन.ए. से प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी/ एस.एन.ए. की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक, एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 764.37 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं।

**(xix) डी.डी.ओ बैंक खातों में हस्तांतरित धनराशि:**

हिमाचल कोषागार नियमावली के नियम 183(v) के अनुसार, कोषागार से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक कि तत्काल भुगतान हेतु उसकी आवश्यकता न हो। माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को समाप्त होने से बचाने के लिए कोषागार से धनराशि निकालना अनुमत्त नहीं है। राज्य सरकार ने डी.डी.ओ. बैंक खातों में हस्तांतरित धन राशि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान नहीं की है।

**4. आकस्मिकता निधि:**

आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1971 की स्थापना की, जो कि अभिरक्षा से संबंधित या उससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने, धन के भुगतान और हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि से धन की निकासी से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ 5.00 करोड़ का कोष है। वर्ष के दौरान, आकस्मिकता निधि से कोई लेन-देन नहीं हुआ। 2024-25 के अंत में, कोई भी राशि वसूल किए बिना नहीं रही।

31 मार्च 2025 तक, आकस्मिकता निधि में ₹ 5.00 करोड़ की शेष राशि थी।

*प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी 1, 2 और 21 में उपलब्ध हैं।*

**5. लोक लेखे:****(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.):**

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 01.04.2023 से पुरानी पेंशन योजना ओ.पी.एस. में वापसी की अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 01.04.2023 तक कुल 1,18,877 एन.पी.एस. अभिदाता थे। इनमें से 1,17,520 अभिदाताओं ने ओ.पी.एस. का विकल्प चुना था और 31.03.2025 तक 1,357 अभिदाता एन.पी.एस में बने रहे। 01.04.2023 के बाद सभी नियुक्तियाँ सी.सी.एस. पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत की गईं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, मुख्य शीर्ष-2071 लघु शीर्ष 117 के तहत सरकार का अंशदान ₹ 12.79 करोड़ था और एन.पी.एस. के लिए कर्मचारियों का अंशदान ₹ 8.93 करोड़ था। इसमें ए.आई.एस. अधिकारियों के सम्बन्ध में योगदान

भी शामिल है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत सार्वजनिक खाते में ₹ 21.42 करोड़ (कर्मचारी हिस्सा ₹ 8.93 करोड़ और सरकार का हिस्सा ₹ 12.49 करोड़) हस्तांतरित किया। मुख्य शीर्ष 8342-117 (₹ 12.49 करोड़) के तहत दर्शाया गया सरकार का अंशदान मुख्य शीर्ष 2071-01-117 (₹ 12.49 करोड़) के तहत दर्ज राशि से कम था, क्योंकि डी.डी.ओ ने अंतिम महीने के लिए सरकार के एन.पी.एस. अंशदान को सार्वजनिक खाते के माध्यम से भेजने के बजाय सीधे सेवानिवृत्त कर्मचारी को जारी कर दिया था।

सार्वजनिक खाते में हस्तांतरित/जमा की गई कुल राशि में से ₹ 16.60 करोड़ 31 मार्च 2025 तक सार्वजनिक खाते में रहे और एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित नहीं किए गए। सरकार का नकद शेष इस राशि की वजह से अधिक बताया गया था।

**(ii) (क) सब्याज आरक्षित निधियां :**

**(क) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.):** राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन और प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के संदर्भ में (मुख्य शीर्ष- '8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' जो सब्याज अनुभाग के तहत है), केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 378.40 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 41.60 करोड़ है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ.के तहत निधि में ₹ 420.00 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹ 378.40 करोड़, राज्य अंश ₹ 41.60 करोड़) हस्तांतरित किए।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से एन.डी.आर.एफ. के लिए ₹ 84.56 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें से, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 तक मुख्य शीर्ष 8235-125-एन.डी.आर.एफ. के अंतर्गत ₹ 66.92 करोड़ निधि में हस्तांतरित कर दिए। शेष ₹ 17.64 करोड़ की राशि वर्ष के दौरान निधि में हस्तांतरित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को कम दर्शाया गया।

मुख्य शीर्ष 2245 में ₹ 520.19 करोड़ की राशि को निधि से किए गए व्यय के रूप में (एस.डी.आर.एफ. से ₹ 410.59 करोड़ और एन.डी.आर.एफ. से ₹ 109.60 करोड़) समायोजित किया गया था और निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई थी। 31 मार्च 2025 को एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. में समापन शेष क्रमशः ₹ 67.55 करोड़ और ₹ 13.54 करोड़ था।

**(ख) राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.):** राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ग) के तहत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन.डी.आर.एफ.) के दिशा निर्देशों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के तहत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से बनाई गई है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत अधिसूचना संख्या फिन-जी-सी (2) 05/2022, दिनांक 27-02-2023 के माध्यम से एस.डी.एम.एफ. बनाया है।

केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को एस.डी.एम.एफ. में केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 184.65 करोड़ प्राप्त हुए (2024-25 के लिए ₹ 94.60 करोड़ और 2023-24 का बकाया ₹ 90.05 करोड़)। वर्ष के दौरान राज्य का हिस्सा ₹ 20.40 करोड़ था (2024-25 के लिए ₹ 10.40 करोड़ और 2023-24 के लिए 10.00 करोड़)। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130 एस.डी.एम.एफ. के तहत नामित निधि में ₹ 205.05 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹ 184.65 करोड़ और राज्य का हिस्सा: ₹ 20.40 करोड़) हस्तांतरित किया।

₹ 200.28 करोड़ की राशि को निधि से किए गए व्यय के रूप में मुख्य शीर्ष 2245 में समायोजित किया गया था और निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई थी। 31 मार्च 2025 को निधि में अंतिम शेष राशि ₹ 48.23 करोड़ थी।

(ग) **राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि:** भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, प्रतिपूरक वनरोपण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य सरकारों को राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि को लोक लेखा में सब्याज अनुभाग के तहत स्थापित करना आवश्यक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 0.02 करोड़ (2023-24 में शून्य) प्राप्त हुए हैं और राष्ट्रीय कोष में 10 प्रतिशत शेयर (पिछले वर्ष शून्य) जमा किया है। सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा से ₹ 784.65 करोड़ (2023-24 में ₹ 308.30 करोड़) भी प्राप्त हुए थे।

वर्ष 2024-25 के दौरान, मुख्य शीर्ष 2406-04-103 राज्य प्रतिपूरक वनरोपण के अंतर्गत ₹ 105.57 करोड़ का व्यय इस निधि से पूरा किया गया। सरकार ने इस निधि से कोई राशि निवेश नहीं की है। 31 मार्च 2025 तक राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में कुल शेष ₹ 2,623.42 करोड़ था।

(ख) **ब्याज रहित आरक्षित निधियां:**

(क) **समेकित निक्षेप निधि:** बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा बकाया देनदारियों के प्रत्युत्सर्जन के लिए एक समेकित निक्षेप निधि बनानी अपेक्षित थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा प्रशासित करना था। आर.बी.आई. के 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को गत वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया देनदारियों के 0.5 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना अपेक्षित था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया गया है।

(ख) **गारंटी मोचन निधि:** बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियों से उत्पन्न प्रासंगिक दायित्वों के निर्वहन हेतु गारंटी मोचन निधि स्थापित करनी अपेक्षित थी तथा पिछले वर्ष के बकाया गारंटियों के निर्धारित दर से न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना अपेक्षित था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि को अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

(iii) **केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.):**

भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2018 के माध्यम से पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) कर दिया गया है। सी.आर.आई.एफ. का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे में सुरक्षा राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए किया जाएगा।

मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में, केंद्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को शुरु में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक प्रमुख शीर्षों के माध्यम से लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8449-103 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में स्थानांतरित किया जाना है। राज्य सरकार ने अभी तक लोक लेखे में सी.आर.आई.एफ. सृजित नहीं किया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को सी.आर.आई.एफ.के लिए ₹ 130.96 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने लोक लेखे में निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभी तक निधि को सृजित नहीं किया गया है। हालाँकि, वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 5054 से सी.आर.आई.एफ. पर ₹ 167.83 करोड़ खर्च किए।

(iv) **उच्चत और प्रेषण शेष:**

वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा वाउचर/चालान/मंजूरी पत्र आदि जैसे दस्तावेजों की कमी के अभाव में ₹ 0.17 लाख का व्यय और ₹ 0.78 करोड़ की प्राप्तियां उच्चत, (मुख्य शीर्ष 8658, लघु शीर्ष 110- रिजर्व बैंक उच्चत-केंद्रीय लेखा कार्यालय) के अंतर्गत रखी गई हैं। सरकार का कुल व्यय/प्राप्ति उस सीमा तक कम बताया गया है।

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया राशि, विभिन्न शीर्षों के तहत पृथक बकाया नामे और जमा शेष को मिलाकर, 31 मार्च, 2025 तक मुख्य शीर्ष 8658,8782 और 8793 के अंतर्गत ₹ 1,074.16 करोड़ (जमा) था। (31 मार्च 2024 को ₹ 885.53 करोड़ (जमा))।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों का समाधान न होने से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जिन्हें वर्ष-दर-वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) के तहत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष की सटीकता प्रभावित होती हैं।

**(v) चेक, बिल और डिजिटल भुगतान:**

हिमाचल प्रदेश में मुख्य शीर्ष 8670 चेक और बिल चालू नहीं है, क्योंकि सभी भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाते हैं। डिजिटल भुगतान के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान आदेशों को पूरा होने पर व्यय के रूप में माना जाता है। हालाँकि, 'ई-कुबेर विफल' लेनदेन के रूप में संदर्भित विफलता के मामले में राशि को 8658 में उचंत के रूप में दर्ज किया जाता है। वर्ष 2024-2025 में ई-कुबेर विफल लेनदेन के कारण ₹ 13.11 करोड़ (जमा) की राशि को उचंत के रूप में दर्ज किया गया।

**(vi) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर:**

भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने मुख्य शीर्ष 8443 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹ 33.47 करोड़ (2023-24: ₹ 48.36 करोड़) एकत्र किए और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को ₹ 30.38 करोड़ (2023-24: ₹ 42.76 करोड़) हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2025 को मुख्य शीर्ष 8443 से कुल अहस्तांतरित राशि ₹ 35.36 करोड़ थी (31 मार्च 2024 को ₹ 32.27 करोड़)। चूंकि यह पास थू लेनदेन है, इसलिए सरकार का नकद शेष इस राशि की वजह से अधिक बताया गया था।

**(vii) राज्य द्वारा लगाए गए अन्य उपकर:**

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 209.58 करोड़ (दूध उपकर: ₹ 141.92 करोड़, करों पर उपकर: ₹ 43.02 करोड़, प्राकृतिक खेती उपकर: ₹ 24.62 करोड़, भूमि पर उपकर: ₹ 0.03 करोड़) (2023-24 : ₹ 182.40 करोड़) श्रम उपकर के अलावा की राशि के विभिन्न उपकर एकत्र किए। इन उपकरों के अधिनियमों/अधिसूचनाओं में राज्य के लोक लेखे के तहत निधि के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत अन्य उपकरों के लिए निधि के सृजन के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाया है।

**(viii) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी) को प्रेषण:**

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी) की स्थापना अगस्त 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन)-एन.एम.डी. आर अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी (1)(2015 में संशोधन के माध्यम से शामिल) के तहत की गई थी। अधिनियम की धारा 9 सी (4) में कहा गया है कि खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक संस्था को दूसरी अनुसूची के संदर्भ में भुगतान की गई रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान ऐसे तरीके से करेगा जैसा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

एन.एम.ई.टी नियम, 2015 के नियम 7(6) में कहा गया है कि राशि एकत्रित करने, एकत्रित राशि को संस्था फण्ड में जमा करने और केंद्र सरकार के साथ साझा किए जाने वाले आवश्यक खातों को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा, नियम 7(7) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 9 सी की उपधारा (4) के तहत भुगतान की गई राशि और रॉयल्टी भुगतान के संबंध में मासिक आधार पर भारतीय खान ब्यूरो को जानकारी प्रदान करेगी।

लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को मुख्य शीर्ष 0853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग के अंतर्गत रॉयल्टी प्राप्त होने पर मुख्य शीर्ष 8449-123-एन.एम.ई.टी के अंतर्गत राज्य के लोक लेखे में राशि हस्तांतरित करनी होती है। इसके बाद अभिवृद्धि को समय-समय पर भारत के लोक लेखे के तहत एन.एम.ई.टी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एन.एम.ई.टी निधि भारत के लोक लेखे के तहत बनाया गया गैर-व्यपगत और गैर-ब्याज वाला निधि है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 0853-102 मुख्य खनिज रियायतें, शुल्क एवं किराया के अंतर्गत ₹ 352.79 करोड़ एकत्रित किए। मुख्य शीर्ष 0853-107-लघु खनिज रियायतें, शुल्क एवं किराया के अंतर्गत कोई राशि दर्ज नहीं की गई है। हालाँकि, राज्य में प्रमुख एवं लघु दोनों प्रकार के खनिज है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को खनन धारकों से सीधे लोक लेखे के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8449-00-123 के तहत एन.एम.ई.टी योगदान के रूप में ₹ 2.18 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को ₹ 2.21 करोड़ हस्तांतरित किए।

मुख्य शीर्ष 8449-123 के तहत राशि में से, सरकार ने एन.एम.ई.टी (केंद्र को) को ₹ 0.32 करोड़ (ओ.बी. ₹ 0.36 करोड़) कम हस्तांतरित किए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार का नकद शेष अधिक बताया गया।

#### (ix) प्रतिकूल शेष:

प्रतिकूल शेष एक ऐसी स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि को बंद करने वाले खाते के प्रमुख में ऋण शेष, नामे/(-)जमा शेष देयता शीर्ष या शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सामान्य रूप से जमा शेष होना चाहिए और जमा/(-)नामे शेष परिसंपत्ति शीर्षों या शीर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सामान्यतः नामे शेष होना चाहिए। खाते के शीर्ष में प्रतिकूल शेष गलत वर्गीकरण, धन की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त योगदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरे में शेष राशि को आगे न ले जाने, प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण राज्यों के निर्माण/अधिक लेखांकन इकाइयों का गठन आदि के कारण उत्पन्न होता है। 2024-25 में कोई नया प्रतिकूल शेष नहीं जोड़ा गया।

31.03.2025 को प्रतिकूल शेष नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक मुख्य शीर्ष में दिखाई देता है:

मुख्य शीर्ष	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
7610-203	सरकारी कर्मचारियों को ऋण (अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम)	0.03
7610-800	सरकारी कर्मचारियों को ऋण (अन्य अग्रिम)	0.22

#### (x) रोकड़ शेष:

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2025 को रोकड़ शेष ₹ 44.74 करोड़ (नामे) था और आर.बी.आई. द्वारा सूचित की गई ₹ 37.78 करोड़ (जमा) था। ₹ 6.96 करोड़ (नामे) का निवल अंतर, जिसका मुख्य कारण कोषागारों/आर.बी.आई./एजेंसी बैंक और महालेखाकार कार्यालय के बीच लंबित मिलान था। अंतर मिलान के अधीन है। पिछले वर्ष यानि 31 मार्च 2024 को स्थिति ₹ 42.44 करोड़ (नामे) थी।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी संख्या 21 में उपलब्ध हैं।

**6. प्राप्ति, व्यय और नकदी शेष पर प्रभाव:**

राज्यों के वित्त पर गलत वर्गीकरण/वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करने का, जैसा कि पूर्ववर्ती पैरों में वर्णित मदों का राजस्व प्राप्ति, व्यय और नकदी शेष पर प्रभाव, नीचे सारणी बद्ध है:

(₹ करोड़ में)

पैरा संख्या	मद	राजस्व प्राप्तियों पर प्रभाव		राजस्व व्यय पर प्रभाव		पूँजीगत व्यय पर प्रभाव		नकदी शेष पर प्रभाव	
		आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी
3(viii)	सब्याज आरक्षित निधि/जमा पर ब्याज का भुगतान न होना	--	--	--	23.01	--	--	--	--
5(i)	मुख्य शीर्ष 8342-117 (एन.पी.एस.) के तहत संचित राशि का स्थानांतरण न होना	--	--	--	--	--	--	16.60	--
5(ii)(क)	एन.डी.आर.एफ. की प्राप्ति का निधि में कम हस्तांतरण होना	--	--	--	17.64	--	--	--	--
5(iv)	उच्चत और प्रेषण शेष	--	0.61	--	--	--	--	--	--
5(vi)	श्रम उपकर का कम हस्तांतरण होना	--	--	--	--	--	--	35.36	--
5(viii)	एन.एम.ई.टी. में हस्तांतरण कम होना	--	--	--	--	--	--	0.32	--
<b>कुल (निवल) प्रभाव</b>	<b>आधिक्य/कमी</b>	--	<b>0.61</b>	--	<b>40.65</b>	--	--	<b>52.28</b>	--









© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ae/himachal-pradesh/hi>

